पटना नगर निगम

मौर्यलोक कम्पलेक्स, पटना-800001

पटना कारपोरेशन

सशक्त स्थायी समिति की 10वीं साधारण बैठक की कार्यवाही:-

दिनांक :- 03.07.2024

समय :- 12:30 बजे अपराह्न

स्थान :- महापौर कार्यालय कक्ष, मौर्यालोक कम्पलेक्स, पटना।

अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.	रेशमी कुमारी	सीता साहू
नगर आयुक्त	उप-महापौर	महापौर
पटना नगर निगम	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम

पटना नगर निगम

दिनांक- 03.07.2024 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 10वीं साधारण बैठक की कार्यसूची, निम्नवत् है:-

क्र0	विषय	संबंधित शाखा
1	दिनांक-29.01.2024 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 8वीं साधारण बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।	सचिव शाखा
2	दिनांक-16.02.2024 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की तृतीय विशेष बैठक(बजट 2024-25) की कार्यवाही की सम्पुष्टि।	सचिव शाखा
3	दिनांक-04.05.2024 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 9वीं साधारण बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।	सचिव शाखा
4	स्व0 अभिषेक शर्मा, दैनिक प्रभारी पर्यवेक्षक, वार्ड न0-30, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम का सेवाकाल के दौरान मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित को 05 (पाँच) लाख रूपया आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में।	स्थापना शाखा
5	स्व0 रणवीर कुमार, पिता- सुरेश प्रसाद, दैनिक सफाई मजदूर, वार्ड संख्या-57, अजीमाबाद अंचल, पटना नगर निगम का सेवाकाल के दौरान मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित को 05 (पाँच) लाख रूपया आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में।	स्थापना शाखा
6	INNER WHEEL CLUB OF PATNA द्वारा पटना नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों के सौन्दर्यीकरण करने के संबंध में।	अभियंत्रण शाखा
7	बिहार म्युनिसिपल एक्ट-2007 के धारा-166, 167 एवं 168 के तहत सरकारी निजी सहभागिता के तहत इनकम टैक्स गोलम्बर तथा श्री कृष्ण नगर चिल्ड्रेन पार्क के सामने जन जागरूकता हेतु साइनेज/बोर्ड स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में।	अभियंत्रण शाखा
8	बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम-23 के अनुपालन में जैव विविधता समिति का गठन संपन्न किये जाने के संबंध में।	
9	पटना नगर निगम के विभिन्न अंचलों में एकत्रित हो गये Metal/Non - Metal Scraps जिसमें मुख्य रूप से अकार्यरत एवं नहीं चलने योग्य वाहन तथा अंचल कार्यालय में अनुपयोगी पड़े सामग्री/सामग्री शामिल है की नीलामी हेतु MSTC Limited को [illegible] करने हेतु MoU करने के संबंध में।	अभियंत्रण शाखा
10	सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल निर्माण का प्राक्कलन प्रतिवेदन।	अभियंत्रण शाखा

11	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रावधानित एक करोड़ रुपये की राशि माननीय पार्षदों द्वारा अनुशंसित योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन।	अभियंत्रण शाखा
12	वार्ड संख्या-22बी पाटलिपुत्र मेट्रोहम स्कूल के निकट निर्माणाधीन पार्क का नामकरण स्व0 शैलेश प्रसाद (पूर्व मुखिया) के नाम पर करने के संबंध में।	अभियंत्रण शाखा
13	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रावधानित 5 सबमर्सिबल बोरिंग अधिष्ठापन का प्रगति प्रतिवेदन।	अभियंत्रण शाखा
14	दिनांक-28.10.2021 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 52वीं साधारण बैठक के मद संख्या-02, प्रस्ताव संख्या-643 में पारित प्रस्ताव के आलोक में वार्ड संख्या-70 में नन्द गोला घाट पर स्वीकृत शवदाह गृह के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 1,09,25344.185 रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	अभियंत्रण शाखा
15	जल-जीवन हरियाली योजना के अन्तर्गत वार्ड संख्या-70 के [illegible] शिव मंदिर के पास तालाब का सौन्दर्यीकरण कराने के संबंध में।	अभियंत्रण शाखा
16	वार्ड संख्या-30 के अन्तर्गत खाता संख्या-149, प्लॉट संख्या-361, थाना संख्या-30, मोहल्ला- [illegible] में तालाब निर्माण के संबंध में।	अभियंत्रण शाखा
17	राजेन्द्र नगर स्थित भूखंड संख्या-02, ब्लॉक-बी, टाईप - ए का नामान्तरण के संबंध में।	भू-सम्पदा शाखा
18	जिला पदाधिकारी, पटना-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक- 13.01.2024 को सम्पन्न पटना नगर निगम अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही में अनुशंसित कुल-04 आवेदन पत्रों के संदर्भ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पद निर्धारण करते हुए संबंधी आदेश निर्गत करने के संबंध में।	स्थापना शाखा
19	जिला पदाधिकारी, पटना-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक- 17.02.2024 को सम्पन्न पटना नगर निगम अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही में अनुशंसित कुल-07 आवेदन पत्रों के संदर्भ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पद निर्धारण करते हुए संबंधी आदेश निर्गत करने के संबंध में।	स्थापना शाखा
20	जलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति के संबंध में।	अभियंत्रण/जलापूर्ति शाखा
21	Revenue Augumentation Cell के कार्यों की समीक्षा।	राजस्व शाखा

पटना नगर निगम

दिनांक- 03.07.2024 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 10वीं साधारण बैठक में शामिल किये गये अतिरिक्त कार्यसूची, निम्नवत् है:-

क्र.	विषय	संबंधित शाखा
1	पटना नगर निगम के विभिन्न वार्डों में सेवा निवृत, मृत, कार्यमुक्त एवं अनुपस्थित कर्मियों के स्थान पर आउटसोर्स एजेंसी से मानव बल उपलब्ध कराने के संबंध में।	स्थापना शाखा
2	वैश्विक महामारी(Covid -19) के परिपेक्ष्य में राज्य के सभी नगर निकायों में स्थायी/संविदा/दैनिक कर्मियों को 15 दिनों का मूल वेतन/मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के संबंध में।	स्थापना शाखा
3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क में एक नई श्रेणी "Institutional Bulk Solid Waste Generator" के सम्बन्ध में।	राजस्व शाखा
4	राज्य सरकार द्वारा वर्द्धित मकान किराया भत्ता 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के संबंध में।	लेखा शाखा
5	पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में संलग्न सभी प्रकार के वाहनों को सुचारू रूप से परिचालन हेतु पार्ट्स इत्यादि का क्रय किये जाने के लिए 03 (तीन) कार्यशाला में कुल 15 (पंद्रह) लाख रूपये अर्थात प्रत्येक कार्यशाला को राशि 05-05 (पाँच-पाँच) लाख Revolving राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।	वाहन शाखा
6	पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थापित करने हेतु 01 (एक) Lathe Machine, 01 (एक) 3 Phase welding machine and 01 (एक) Bench vice machine क्रय करने के संबंध में।	वाहन शाखा
7	पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में संलग्न विभिन्न प्रकार के ई-वाहनों के लिए Battery Swapping Policy के तहत नई बैट्री के स्थान पर वाहनों में Swapping के आधार पर Battery को प्रतिस्थापित करने के संबंध में।	वाहन शाखा
8	**Supply, erection and commissioning of human electric crematorium at nandgola ghat with 5 year maintenance under PMC.**	अभियंत्रण शाखा
9	पटना नगर निगम के अन्तर्गत [illegible] की एकरारनामा जिसकी अवधि समाप्त हो गयी है या होने जा रही है, [illegible] कराने के संबंध में एवं अवधि समाप्ति के बाद किसकी राशि नहीं [illegible] रही है, का प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।	राजस्व शाखा

10	श्री श्याम कुमार, सचिवालय सहायक, पटना नगर निगम का सेवा अवधि विस्तार के संबंध में।	स्थापना शाखा
11	मौजा-मोहम्मदपुर, बाकरगंज, वार्ड नंबर स्थित पटना नगर निगम की भूमि पर होल्डिंग संख्या-867, पटना सिटी म्युनिसिपैलिटी, 1664-89 ई०, पर निर्मित 01 से 36 कटरा/दुकानों के संबंध में।	भू-सम्पदा शाखा
12	15वें वित्त आयोग के परिवर्तित वायु गुणवत्ता घटक अन्तर्गत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु प्राप्त राशि में से बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड को आवंटित राशि में से व्ययोपरान्त शेष राशि को Patna Urban Agglomeration (PUA) एवं BRDB को आवंटित करने के संबंध में।	सफाई शाखा
13	नई अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत नियोक्ता अंशदान की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने के संबंध में।	स्थापना शाखा
14	Development of Multi Level Automatic Car Parking at maurylok complex के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।	अभियंत्रण शाखा
15	पटना नगर निगम द्वारा आमंत्रित निविदा में अधिकतम (03) तीन वर्षों में भाग लेने की बाध्यता करने की स्वीकृति के संबंध में।	अभियंत्रण शाखा
16	पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित गोलम्बरों के सौन्दर्यीकरण के संबंध में।	अभियंत्रण शाखा
17	पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 75 वार्डों को 19 में विभक्त किया गया है। उक्त मानसून अवधि तक 15 जून 2024 से अक्टूबर 2024 तक Quick Response Team(QRT) के कार्यों के समाधान हेतु जोनवार जोनल निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में।	सफाई शाखा
18	पटना नगर निगम में 03 (तीन) वर्कशॉप बनाने के संबंध में।	वाहन शाखा
19	नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के अधिसूचना ज्ञापांक-3309, दिनांक-26.09.2023 का अनुपालन के संबंध में।	राजस्व शाखा
20	पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक वार्ड में एक अदद Selfie Point के अधिष्ठापन की स्वीकृति के संबंध में।	अभियंत्रण शाखा
21	वार्ड संख्या-67 के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या-142, दिनांक 12.09.2023 द्वारा पारित योजना के क्रमांक 2 को रद्द करते उसमें प्रथम 07 योजनाओं का क्रियान्वयन करने के संबंध में सूची संलग्न।	अभियंत्रण शाखा
22	वार्ड संख्या-30 के अन्तर्गत आदर्श विहार रोड संख्या-02 स्थित अवशेष पथ में नाला एवं सड़क निर्माण के संबंध में।	अभियंत्रण शाखा
23	वार्ड संख्या-30 के अन्तर्गत [illegible] बैंक ऑफ इंडिया के पास बुद्धिजीवी कॉलोनी में [illegible]) लगाने के संबंध में।	अभियंत्रण शाखा
24	वार्ड संख्या-30 के अन्तर्गत [illegible] के घर से अवधेश कुमार सिंह के [illegible] एवं मेनहोल निर्माण के संबंध में।	अभियंत्रण शाखा

25	वार्ड संख्या-11 के अन्तर्गत 03 सड़कों का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।	अभियंत्रण शाखा
26	वार्ड संख्या-53 के अन्तर्गत लोहा गोदाम पथ को श्री धनंजय मेहता के नाम से नामकरण के संबंध में	अभियंत्रण शाखा
27	वार्ड संख्या-35 के अन्तर्गत चौधरी पेट्रोल पम्प से लेकर रेलवे कार्यालय तक पथ का आशा देवी पथ के नाम से नामकरण के संबंध में	अभियंत्रण शाखा
28	वार्ड संख्या 42 अन्तर्गत उच्च प्रवाह बोरिंग के स्थल को बदलने के संबंध में।	अभियंत्रण शाखा
29	सम्पत्ति कर एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क संबंधित आवेदनों का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निष्पादन के संबंध में।	राजस्व शाखा
30	उत्परिवर्तन /नामांतरण की मानक प्रक्रिया में संशोधन हेतु विमर्श के संबंध में।	राजस्व शाखा
31	15वें वित्त आयोग के परिवेशीय वायु गुणवत्ता घटक अन्तर्गत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु प्राप्त राशि में से पटना नगर निगम अन्तर्गत सभी शवदाहगृहों को जीर्ण-शीर्ण योजना हेतु आवंटित राशि में से व्ययोपरान्त शेष राशि का उपयोग **Mechanical Road sweeping** एवं **crematorium** के **operation & Maintenance** कार्य में किये जाने के संबंध में। साथ ही **Transport Department** को आवंटित राशि में व्ययोपरान्त पटना नगर निगम को वापस की गई राशि का उपयोग **IEC** कार्य में किये जाने के संबंध में।	लेखा शाखा
32	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत डीजल चालित वाहनों को **CNG** में परिवर्तित करने हेतु स्वीकृत राशि 10 करोड़ रु० का उपयोग **IGIMS** अन्तर्गत **Flyover** के नीचे एवं अन्य जगहों पर **Plantation** कार्य में किये जाने के संबंध में।	
33	निगम स्वामित्व वाले अकार्यरत **Dumper Placer** को **Fabricate** करते हुए **Pink Toilet** में परिवर्तित करने के संबंध में।	
34	निगम स्वामित्व वाले अकार्यरत डीजल चालित **Close Tipper** को **Fabricate** करते हुए 1200 लीटर क्षमता वाला चलंत प्याऊ में परिवर्तित करने के संबंध में।	
35	पटना नगर निगम क्षेत्र में वार्डों को **Open Manhloe free (OMF)** करने के संबंध में।	
36	पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत रोबोटिक्स पद्धति से मैनहोल की सफाई एवं उसके संचालन हेतु एजेंसी चयन के संबंध में।	

37	रामाचक बैरिया में **Legacy Fresh Waste** को अवशेष मात्रा का **Bio-Mining** करने के संबंध में।	
38	पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मुख्य चौराहों एवं स्थानों पर 12.5 मीटर का हाई मास्ट लाइट अधिष्ठापन के संबंध में।	
39	पटना शहर में भविष्य में होने वाले भूकम्प की बेहतर तैयारी हेतु शहर के माइक्रोजोनेशन हेतु **IIT** पटना को कुल 75 स्थानों पर **Multi Channel Analysis of Surface Wave (MASW) Test** की अनुमति देने के संबंध में।	
40	**Choice Consultancy Service Private Limited** द्वारा क्रियान्वित ई-बिल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में कार्यरत मानव बल की संख्या में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मानव बल नियुक्त करने के संबंध में।	
41	चैती छठ 2024 एवं सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन 2024 हेतु विभिन्न घाटों पर अस्थायी घाटों के निर्माण/सौन्दर्यीकरण एवं अन्य कार्य की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	
42	ट्रांसपोर्टनगर, पटना में State Bank of India के Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत प्राप्त 01 (एक) Green Field, Material Recovery facility (MRF) को स्थापित एवं इसका संचालन 05 (पाँच) वर्ष तक निःशुल्क करने हेतु Mauryan Kars Auto Services LLP and Chimo Techventures Private Limited को अनुमति देने पर विमर्श के संबंध में।	

22/03/24

[illegible] महापौर

नगर सचिव

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पत्रांक/Ref No.: 13599
दिनांक/Date: [illegible]

दिनांक-03.07.2024 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 10वीं साधारण बैठक माननीया महापौर, श्रीमती सीता साहू की अध्यक्षता में हुई। जिसमें निम्नांकित माननीया/माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया, जिसकी उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

1. श्रीमती सीता साहू - महापौर, पटना नगर निगम।
2. श्रीमती रेशमी कुमारी - उप-महापौर, पटना नगर निगम।
3. श्रीमती श्वेता रंजन - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
4. श्रीमती कान्ति देवी - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
5. श्रीमती कावेरी सिंह - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
6. श्री आशीष कुमार सिन्हा - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
7. श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
8. श्री मनोज कुमार - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
9. श्री बिनोद कुमार - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।

निगम प्रशासन

1. श्री अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से. - नगर आयुक्त, पटना नगर निगम।
2. श्री राजन सिन्हा (बि.प्र.से.) - अपर नगर आयुक्त
3. श्री शैलेन्द्र सुमन - संयुक्त नगर आयुक्त -सह-नगर सचिव
4. श्री सुरेश कुमार सिन्हा - मुख्य नगर अभियंता
5. श्री विजय कुमार - कार्यपालक अभियंता, मुख्यालय
6. श्री रामाशीष तिवारी - उप-नगर आयुक्त
7. श्री प्रदीप कुमार - उप-नगर आयुक्त
8. श्री बबलू कुमार गुप्ता - कार्यपालक अभियंता, विद्युत
9. श्री अवधेश कुमार सिंह - निजी सहायक
10. श्री मिथलेश मांझी - निजी सहायक

अध्यक्ष :- बैठक में उपस्थित उप-महापौर, सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त एवं उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत करती हूँ। बैठक की कार्यवाही शुरू की जाय।

माननीया महापौर,उप-महापौर, सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्यों तथा पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत है।

नगर सचिव, कार्यसूची को पढ़ें।

नगर आयुक्त

महापौर

नगर सचिव :- बैठक में उपस्थित माननीया महापौर, माननीया उप-महापौर, माननीय सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य, आदरणीय नगर आयुक्त एवं बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत है।

मद संख्या-01 :- दिनांक-29.01.2024 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 8वीं साधारण बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।

अध्यक्ष :- सम्पुष्टि का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

श्री मनोज कुमार:- माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय:- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं सम्पुष्टी का समर्थन करती हूँ।

प्रस्ताव संख्या-234:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक-29.01.2024 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 8वीं साधारण बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाता है।

मद संख्या-02 :- दिनांक-16.02.2024 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की तृतीय विशेष बैठक बजट(2024-25) की कार्यवाही की सम्पुष्टि।

अध्यक्ष :- सम्पुष्टि का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

श्रीमती कान्ति देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं सम्पुष्टी का समर्थन करती हूँ।

प्रस्ताव संख्या-235 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक-16.02.2024 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की तृतीय विशेष बैठक बजट(2024-25) की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाता है।

मद संख्या-03 :- दिनांक-04.06.2024 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 9वीं साधारण बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।

अध्यक्ष :- सम्पुष्टि का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

महापौर
पटना नगर निगम

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-236 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक-04.08. 2024 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की [illegible] साधारण बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाता है।

मद संख्या-04 :- स्व0 अभिषेक वर्मा, दैनिक प्रभारी पर्यवेक्षक, वार्ड न0-30, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम का सेवाकाल के दौरान मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित को 05 (पाँच) लाख रूपया आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में।

अध्यक्ष :- 05 (पाँच) लाख रूपया आर्थिक सहायता भुगतान करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल के प्रतिवेदन के अनुसार स्व0 अभिषेक वर्मा, दैनिक प्रभारी सफाई पर्यवेक्षक, वार्ड संख्या-30 कंकड़बाग अंचल का सेवा काल में मृत्यु हो गयी है। अतएव स्व0 अभिषेक वर्मा के आश्रित पत्नी श्रीमती राखी राज को 05 (पाँच)लाख रूपये मुआवजा देने हेतु अनुशंसा की गयी है। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम पर्षद की प्रथम विशेष बैठक (बजट 2023-24), दिनांक-25.03.2023 के प्रस्ताव संख्या-03 द्वारा निर्णय लिया गया था कि दैनिक कर्मियों को कार्य अवधि में दुर्घटना से मृत्यु होने पर उन्हें 05 (पाँच)लाख रूपये मुआवजा दिया जायेगा। परन्तु इनकी मृत्यु कार्य के दौरान हुई है कि नहीं, यह संचिका से स्पष्ट नहीं हो रहा है। अतः इस संबंध में कंकड़बाग अंचल से स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संलेख में स्पष्ट नहीं है कि मृत्यु कब और कैसे हुई है। निगम का निर्णय है कि अगर दैनिक कर्मी की कार्य अवधि में दुर्घटना से मृत्यु होती है। तब उन्हें 05 (पाँच)लाख रूपये मुआवजा दिया जायेगा। कंकड़बाग अंचल से स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही निर्णय लिया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। स्पष्ट प्रतिवेदन के साथ अगली सशक्त स्थायी समिति की बैठक में रखा जाय ताकि कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया जा सके।

प्रस्ताव संख्या-237 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्व0 अभिषेक वर्मा, दैनिक प्रभारी पर्यवेक्षक, वार्ड न0-30, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम का सेवाकाल के दौरान मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित को 05 (पाँच) लाख रूपया आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को स्थगित किया जाता है। कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम अभिषेक वर्मा, दैनिक प्रभारी पर्यवेक्षक, वार्ड संख्या-30 की मृत्यु कार्य के दौरान हुई है या नहीं, के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन दें ताकि अगली सशक्त स्थायी समिति की होने वाली बैठक में निर्णय लिया जा सके।

मद संख्या-05:- स्व0 परमवीर कुमार, पिता- सुदामा प्रसाद, दैनिक सफाई मजदूर, वार्ड संख्या-57, अजीमाबाद अंचल, पटना नगर निगम का सेवाकाल के दौरान मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित को 05 (पाँच) लाख रूपया आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में।

अध्यक्ष :- 05 (पाँच) लाख रूपया आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- अजीमाबाद अंचल कार्यालय द्वारा अनुशंसा के साथ स्व0 परमवीर कुमार, पिता- सुदामा प्रसाद, दैनिक सफाई मजदूर, वार्ड संख्या-57, अजीमाबाद अंचल, का सेवाकाल में दिनांक-31.01.2024 को मृत्यु हो गयी है। अजीमाबाद अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी एवं माननीय वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-57 का आश्रित पत्नी मो0 पुष्प देवी को 05 लाख रूपये मुआवजा देने की अनुशंसा दी गयी है। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निगम पर्षद की प्रथम विशेष बैठक (बजट 2023-24) दिनांक-25.03.2023 के प्रस्ताव संख्या-03 में दैनिक कर्मियों को कार्य अवधि में दुर्घटना से मृत्यु होने पर बजट में 50 लाख रुपया उपबंध किया गया है। उक्त उपबंधित राशि में से किसी कर्मी का कार्य अवधि में मृत्यु होने पर उन्हें 05 (पाँच) लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। परन्तु संचिका में स्पष्ट नहीं है कि कार्य के दौरान हुई है या नहीं। इस संबंध में अजीमाबाद अंचल से स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत कार्रवाई की जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पार्षद के प्रस्ताव से सहमत हूँ इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-228 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री0 परमवीर कुमार, पिता- सुदामा प्रसाद, दैनिक सफाई मजदूर, वार्ड संख्या-57, अजीमाबाद अंचल, पटना नगर निगम का सेवाकाल के दौरान मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित को 05 (पाँच) लाख रुपया सहायता देने के प्रस्ताव को स्थगित किया जाता है। कार्यपालक पदाधिकारी, अजीमाबाद अंचल, पटना नगर निगम श्री कुमार की मृत्यु कार्य के दौरान हुई है या नहीं, के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन दें ताकि सशक्त स्थायी समिति में निर्णय लिया जा सके।**

मद संख्या-06:- **INNER WHEEL CLUB OF PATNA द्वारा पटना नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों के सौन्दर्यीकरण करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- पटना नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों के सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- अध्यक्ष, INNER WHEEL CLUB OF PATNA द्वारा निगम क्षेत्र में विभिन्न गोलम्बरों का सौन्दर्यीकरण करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस कार्य हेतु उन्हें जगह आवंटित करने का प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, INNER WHEEL CLUB OF PATNA द्वारा 04 स्थलों पर सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव दिया गया है जिसमें 1. आयकर गोल गुम्बर 2. पटना जू 3. पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड एवं 4. राजा बाजार चौक। मेरा सुझाव है कि किसी भी संस्था को सौन्दर्यीकरण के लिए

महापौर
पटना नगर निगम

दिया जाए तो उस संस्था को वहाँ पर पटना नगर निगम का ग्लोसाईन बोर्ड भी लगाना होगा। इस संस्था को पटना जू एवं राम गुलाम चौक के पास सौन्दर्यीकरण हेतु शर्तों अनुमति दिया जा सकता है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। INNER WHEEL CLUB OF PATNA को सशर्त अनुमति दी जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीय अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-229 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि INNER WHEEL CLUB OF PATNA को दो स्थलों पटना जू एवं रामगुलाम चौक के सौन्दर्यीकरण करने के प्रस्ताव को निम्न शर्तों के साथ सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. सौन्दर्यीकरण स्थल पर पटना नगर-निगम का ग्लो साईन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
2. गोलम्बर का रख-रखाव INNER WHEEL CLUB OF PATNA को करना होगा।

मद संख्या-07 :- बिहार म्युनिसिपल एक्ट-2007 के धारा-166, 167 एवं 168 के तहत सरकारी निजी सहभागिता के तहत इन्कम टैक्स गोलम्बर तथा श्री कृष्णा नगर चिल्ड्रेन पार्क के सामने जन जागरूकता हेतु साइनेज/बोर्ड स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- इस प्रस्ताव को स्थगित रखते हैं।

मद संख्या-08 :- बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम-25 के अनुपालन में जैव विविधता समिति का गठन संपुष्ट किये जाने के संबंध में।

अध्यक्ष :- जैव विविधता समिति का गठन संपुष्ट किये जाने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम-25 के अनुपालन में जैव विविधता समिति का गठन सम्पन्न हो चुका है तथा विभाग को भी सूचित कर दिया गया है।

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-09 :- पटना नगर निगम के विभिन्न अंचलों में एकत्रित हो गये Metal/Non - Metel Scraps जिसमें मुख्य रूप से अकार्यरत एवं नहीं चलने योग्य वाहन तथा अंचल कार्यालय में अनुपयोगी पड़े मशीनरी/सामग्री शामिल है की नीलामी MSTC Limited के माध्यम से करने हेतु MoU करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- Metal/Non - Metel Scraps की नीलामी MSTC Limited के माध्यम से करने हेतु MoU करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के मुख्यालय एवं विभिन्न अंचलों में Metal/Non - Metal Scraps जमा है। जो अकार्य एवं अनुपयोगी है। MSTC Limited के माध्यम से निष्पादित करने का प्रस्ताव है। जिसके लिए MSTC Limited के साथ MoU किया जाना है। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सभी अंचल के गैरेज में काफी संख्या में पुराने वाहन एवं कबाड़ पड़ा हुआ है। नीलामी होने पर निगम को आय भी प्राप्त होगी एवं उस जगह का किसी कार्य के लिए निगम उपयोग भी कर सकता है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना सिटी अंचल/अजीमाबाद अंचल में जहाँ-तहाँ कबाड़ के रूप में अनुपयोगी वाहन पड़े हुए है। जिसे हटाना जरूरी है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-240 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के विभिन्न अंचलों में एकत्रित हो गये Metal/Non - Metel Scraps जिसमें मुख्य रूप से अकार्यरत एवं नहीं चलने योग्य वाहन तथा अंचल कार्यालय में अनुपयोगी पड़े मशीनरी/सामग्री शामिल है, की नीलामी MSTC Limited के माध्यम से करने हेतु MoU करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

मद संख्या-10:- सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल निर्माण का अद्यतन प्रतिवेदन।

अध्यक्ष :- इस प्रस्ताव का प्रतिवेदन अपेक्षित है।

नगर आयुक्त :- मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम स्पष्ट करें।

महापौर
पटना नगर निगम

मु0न0अभियंता :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि सभी अंचलों से सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल की सूची प्राप्त हो गयी है। इसे अगली बैठक में उपलब्ध करा दिया जाएगा।

नगर आयुक्त :- पटना उच्च न्यायालय के पास एक शौचालय है। जिसकी स्थिति काफी जर्जर एवं दयनीय है। पटना जू (चिड़ियाँ घर), हवाई अड्डा एवं आयुक्त कार्यालय(वीरचन्द पटेल पथ) के पास सुन्दर शौचालय का निर्माण कराया जाय। जैसे- दिल्ली एवं अन्य शहरों में है। दिल्ली में शौचालय को देखने पर आगे से शिवालय एवं शौचालय उपयोग का रास्ता पीछे से रहता है। जो देखने में काफी अच्छा लगता है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदया, निगम के सभी शौचालयों की बन्दोबस्ती समाप्त हो गयी है। फिर भी उन शौचालयों को कोई न कोई चला रहा है और उससे कमाई कर रहा है। निगम को कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही है। इस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। शौचालयों की बन्दोबस्ती लूट का जरिया बन गया है। अधिकारियों की लापरवाही के वजह से आम जनता को स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने में निगम विफल है। इन सभी शौचालयों की जाँच कर कार्रवाई की जाय।

नगर आयुक्त :- नगर मुख्य अभियंता, पटना नगर निगम, इसकी जाँच कर कार्रवाई करते हुए अगले स्थायी समिति के समक्ष साफ प्रस्ताव रखें। इन सभी का संचालन स्वच्छाग्रहियों को देना बेहतर होगा।

मद संख्या-11:- **वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रावधानित एक करोड़ रुपये की राशि अन्तर्गत माननीय पार्षदों द्वारा अनुशंसित योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन।**

अध्यक्ष :- बजट (2023-24) में प्रावधानित एक करोड़ रुपये की राशि के अन्तर्गत माननीय पार्षदों द्वारा अनुशंसित योजनाओं के प्रगति प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- जिस अंचल एवं वार्डों से योजना के संबंध में अभियाचना प्राप्त हुई है। उसका भुगतान किया जा रहा है। एक करोड़ की योजना सभी मिल एवं

महापौर
पटना नगर निगम

15वें वित्त के राशि से करी जा रही है। 40 प्रतिशत राशि उपलब्ध करा दी गयी है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, बजट(2024-25) में प्रकाशित एक करोड़ की योजनाओं पर इसे विभाग से कार्य कराने की आवश्यकता है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-35 एवं 47 में कार्य हो चुका है। लेकिन उसका भुगतान अभी तक लंबित है।

नगर आयुक्त :- मुख्य नगर अभियंता, एक करोड़ रुपये के अन्तर्गत जहाँ योजना का कार्य पूर्ण हो गया है। वहाँ से अधियाचना मांगा जाय। बजट(2024-25) में प्रकाशित एक करोड़ की योजनाओं का चयन माननीय पार्षदों को करना है। कुछ वार्डों से अनुरोध प्राप्त है। इसे भी प्राक्कलन के आधार पर पूर्ण करा लिया जाएगा। राशि की कमी नहीं है।

पद संख्या-12:- **वार्ड संख्या-22में पाटलिपुत्रा वेदोदम स्कूल के निकट निर्माणाधीन पार्क का नामकरण स्व0 नीलेश प्रसाद (पूर्व मुखिया) के नाम पर करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- नामकरण का प्रस्ताव है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पाटलिपुत्र अंचल के अन्तर्गत वेदोदम स्कूल के निकट निर्माणाधीन पार्क का नामकरण स्व0 नीलेश प्रसाद (पूर्व मुखिया) के नाम से करने का प्रस्ताव है। स्व0 नीलेश प्रसाद उस क्षेत्र के पूर्व मुखिया रह चुके हैं। वे वार्ड संख्या-22 की भी माननीया पार्षद श्रीमती मुनिया सिंह जी के पति भी थे। श्री प्रसाद अपने क्षेत्र के लोकप्रिय नेता थे, जिन्हें हम सभी व्यक्तिगत रूप से भी जानते थे। जिनके नाम से नामकरण का प्रस्ताव है। इसे पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। स्व0 नीलेश प्रसाद (पूर्व मुखिया)को यह सच्ची श्रद्धांजली होगी। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं भी माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

श्रीमती श्वेता राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्व0 नीतेश प्रसाद (पूर्व मुखिया) के नाम से नामकरण का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-241 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-22में पाटलिपुत्रा मेट्रोरम स्कूल के निकट निर्माणाधीन पार्क का नामकरण स्व0 नीतेश प्रसाद (पूर्व मुखिया) के नाम पर करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मद संख्या-13:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रावधानित 5 समबर्सिबल बोरिंग अधिष्ठापन का प्रगति प्रतिवेदन।

अध्यक्ष :- इस आशय का प्रतिवेदन अवलोकनार्थ है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक वार्ड में 05-05 समबर्सिबल बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है। समबर्सिबल बोरिंग अधिष्ठापन का कार्य अविलंब कराया जाय तथा इस पर व्यय होने वाली कुल राशि 112,087,500 रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाय। राशि की स्वीकृति के अभाव में यह योजना पिछले एक वर्ष से लंबित है। इस पर हमारे अभियंता काफी सोच कर चुके हैं। अब सोच नहीं योजना को धरातल पर लाए जाने की आवश्यकता है।

प्रस्ताव संख्या-242 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के 75 वार्डों में 05-05 समबर्सिबल बोरिंग के निर्माण पर होने वाले व्यय की राशि 112087500 रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित की जाती है।

मद संख्या-14:- दिनांक-28.10.2021 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 52वीं साधारण बैठक के मद संख्या-02, प्रस्ताव संख्या-643 में पारित प्रस्ताव के आलोक में वार्ड संख्या-70 में मन्द गोला घाट पर स्वीकृत शवदाह गृह के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 1,09,28,344.185 रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- इस मद का संलेख अप्राप्त है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- दिनांक-28.10.2021 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 52वीं साधारण बैठक के मद संख्या-02, प्रस्ताव संख्या-643 में पारित प्रस्ताव के आलोक में वार्ड संख्या 70 में नन्द गोला घाट पर विद्युत शवदाह गृह निर्माण का प्रस्ताव पारित हो चुका है। इस आशय का संलेख अगली बैठक में समीक्षार्थ रखी जाएगी।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नन्दगोला घाट पर विद्युत शवदाह गृह के निर्माण होने से स्थानीय लोगों को काफी सुविधा होगी। इस आशय का संलेख अगली बैठक में निश्चित रूप से रखा जाए।

श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। यह जनहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या-243 :- <u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक-28.10.2021 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 52वीं साधारण बैठक के मद संख्या-02, प्रस्ताव संख्या-643 में पारित प्रस्ताव के आलोक में वार्ड संख्या-70 में नन्द गोला घाट पर स्वीकृत शवदाह गृह के निर्माण हेतु संलेख सशक्त स्थायी समिति की अगली बैठक में रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।</u>

मद संख्या-15:- **जल-जीवन हरियाली योजना के अन्तर्गत वार्ड संख्या-70 के पीरदमरिया शिव मंदिर के पास तालाब का सौन्दर्यीकरण कराने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस मद का संलेख अप्राप्त है।

मद संख्या-16:- **वार्ड संख्या-30 के अन्तर्गत खाता संख्या-149, प्लॉट संख्या-361, थाना संख्या-30, मोहल्ला- [illegible] में तालाब निर्माण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, तालाब निर्माण का प्रस्ताव है।

नगर आयुक्त :- मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम स्पष्ट करें।

महापौर
पटना नगर निगम

मु०न०अभियंता :- वार्ड संख्या-30 के अन्तर्गत बहादुरपुर में सटे राजेन्द्र कृषि कॉलेज में तालाब निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति की बैठक में पारित हुआ है। परन्तु कृषि विभाग एवं आर०सी०डी० के द्वारा सड़क निर्माण के क्रम में अवरूद्ध हो गया है। मलाही-मीठापुर एलिवेटेड रोड के निर्माण होने के कारण उक्त तालाब को भर दिया गया है। माननीय पार्षद महोदया द्वारा इस समस्या के निवारण हेतु वार्ड संख्या-30 के अन्तर्गत खाता संख्या-149, थाना संख्या-30, मोहल्ला-दशरथ बाड़मसिया में तालाब निर्माण हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अंचलाधिकारी, फुलवारी शरीफ, पटना के पत्रांक-2096, दिनांक-14.06.2024 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि खेसरा संख्या-361 में कुल 53.30 डी० है जो गैरमजरूआ मालिक के खाते की है। तदालोक में कंकड़बाग अंचल के अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त प्राक्कलन तैयार किया गया जिसकी प्राक्कलित राशि 1,88,94,601.00 रु० है। उक्त के आलोक में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित है।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दशरथ बाड़मसिया मेरे वार्ड से सटा हुआ है। छठ पूजा के समय वहाँ काफी लोग सूर्य देव को अर्घ्य देने जाते हैं। यह प्रस्ताव जनहित में है, इसे पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-244 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक-26.06.2023 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की चतुर्थ साधारण बैठक के अतिरिक्त मद संख्या-15, प्रस्ताव संख्या-61 के द्वारा राजेन्द्र नगर, एग्रीकल्चर कॉलेज तालाब, वार्ड संख्या-30 के निर्माण/जीर्णोद्धार की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, परन्तु वर्तमान में उक्त स्थल पर एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जा रहा है। इस कारण उक्त प्रस्ताव को रद्द करते हुए उसके स्थान पर वार्ड संख्या-30 के अन्तर्गत खाता संख्या-149, प्लॉट संख्या-361, थाना संख्या-30, मोहल्ला- दशरथा बाड़मसिया में तालाब निर्माण/जीर्णोद्धार कार्य के प्रस्ताव की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान करते हुए

महापौर
पटना नगर निगम

<u>निगम पर्षद् को अनुशंसित किया जाता है। इस योजना की राशि का भुगतान 15वें वित्त के **SWM** (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन)से किया जायेगा।</u>

मद संख्या-17:- राजेन्द्र नगर स्थित भूखंड संख्या-02, ब्लॉक-बी, टाईप - ए का नामान्तरण के संबंध में।

अध्यक्ष :- नामान्तरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- भू-सम्पदा पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संचिका पर विधि मंतव्य प्राप्त करने हेतु निगम के विद्वान अधिवक्ता-सह- रिटेनर के पास दिनांक-15.06.2024 को भेजी गयी है। विधि मंतव्य अभी तक अप्राप्त है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- विधि मंतव्य प्राप्त होने के उपरान्त नामान्तरण हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष लाया जाय।

मद संख्या-18:- जिला पदाधिकारी, पटना-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक- 13.01.2024 को सम्पन्न पटना नगर निगम अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही में अनुशंसित कुल-04 आवेदन पत्रों के संदर्भ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पद निर्धारण करते हुए संबंधी आदेश निर्गत करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है।

मद संख्या-19:- जिला पदाधिकारी, पटना-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक-17.02.2024 को सम्पन्न पटना नगर निगम अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही में अनुशंसित कुल-07 आवेदन पत्रों के संदर्भ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पद निर्धारण करते हुए संबंधी आदेश निर्गत करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है।

मद संख्या-20:- जलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति के संबंध में।

अध्यक्ष :- जलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव है, इस आशय का संलेख अप्राप्त है।

अपर नगर आयुक्त :- जलापूर्ति शाखा से चल रहे योजनाओं की समीक्षा अलग से करनी होगी। कार्यपालक अभियंता, जलापूर्ति बैठक में उपस्थित नहीं है।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- जलापूर्ति शाखा के पोजल की सूची वार्ड वार उपलब्ध करायी जाय और अगली बैठक में समीक्षा हेतु रखा जाय।

मद संख्या-21:- Revenue Augumentation Team के कार्यो की समीक्षा।

अध्यक्ष :- राजस्व संग्रहण के कार्यो की प्रगति की समीक्षा का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पिछले माह तक राजस्व संग्रहण के रूप में 50 करोड़ रूपये राजस्व संग्रहण किया गया है एवं नये भवनों का भी कर निर्धारण किया गया है। लगभग 200 से अधिक सम्पत्ति का नया कर निर्धारण कराया गया है। जिससे लगभग 06 लाख रूपये की वसूली हुई है। प्रतिदिन 05 से 07 लाख रूपये की वसूली आ रही है। निगम में 14000 नया पी0आई0डी0 जनरेट हुआ है। जिससे 08 से 09 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है।

कचरा शुल्क से भी राजस्व की प्राप्ति हो रही है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- नगर आयुक्त महोदय, कचरा शुल्क के संबंध में नागरिकों की काफी शिकायतें आ रही है। प्रतिदिन हमलोगों को 02-04 सम्पत्तिधारकों से शिकायतें प्राप्त हो रही है। इसका जल्द-से-जल्द निदान होना चाहिए।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी शिकायत नामान्तरण एवं बंटवारा से संबंधित है। उदाहरण स्वरूप चार भाईयों का मकान है और वे अलग-अलग टैक्स देना चाहते है। इसका भी समाधान होना चाहिए।

अध्य0सं0-01 :- **पटना नगर निगम के विभिन्न वार्डों में सेवा निवृत, मृत, कार्यमुक्त एवं अनुपस्थित कर्मियों के स्थान पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से मानव बल उपलब्ध कराने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- आउटसोर्सिंग एजेंसी से मानव बल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- अध्यक्ष महोदय, माननीया/माननीय पार्षदों द्वारा बराबर शिकायत प्राप्त हो रही थी कि बहुत सारे सफाई कर्मी उनके वार्ड से सेवानिवृत हो गये है तथा कुछ कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु हो गयी है एवं कुछ कर्मचारी बिना सूचना के अपने कार्यो से गायब हुए हैं। जिस

महापौर
पटना नगर निगम

वजह से सफाई कार्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा रिक्त पदों पर कर्मी को रखने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

स्थायी एवं दैनिक कर्मियों सूची निम्नवत है :-

		स्थायी कर्मी					दैनिक कर्मी			
	अंचल का नाम	रोस्टरीकृत	पूर्व	अनुसूचित	स्थानांतरित	कुल	कार्यरत	अनुसूचित	स्थानांतरित	कुल
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पटना सिटी अंचल	8	0	0	0	8	0	18	0	26
2	अजीमाबाद अंचल	13	2	0	2	17	7	74	3	118
3	बांकीपुर अंचल	2	0	0	2	8	2	53	1	58
4	कंकड़बाग अंचल	1	1	0	3	10	5	70	0	85
5	नूतन राजधानी अंचल	0	6	6	3	6	8	39	1	70
6	पाटलिपुत्र अंचल	11	4	0	1	4	38	20	3	99
7	प्रधान कार्यालय, मौर्यालोक परिसर इकाई	1	0	0	0	0	0	1	0	2
	कुल	36	21	6	1	55	34	225	9	468

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने भी महसूस किया है कि कर्मियों की कमी की वजह से सफाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इस संबंध में माननीया महापौर महोदया एवं उप-महापौर महोदय के पास माननीय पार्षदगण ने अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। इसलिए, उपरोक्त तालिका के अनुसार अविलंब रिक्तियों को आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से मानवबल उपलब्ध कराया जाए। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पार्षद के विचारों से सहमत हूँ। इससे वार्डों में सफाई व्यवस्था और बेहतर होगा। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती [illegible] सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या 245 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के मुख्यालय एवं विभिन्न वार्डों में सेवा निवृत, मृत, कार्यमुक्त एवं अनुपस्थित कर्मियों के स्थान पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से मानव बल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है, जिसकी सूची निम्नवत् है :-

	स्थायी कर्मी					दैनिक कर्मी				
	अंचल का नाम	सेवानिवृत्त	मृत	अनुपस्थित	स्थानांतरण	मृत	कार्यमुक्त	अनुपस्थित	स्थानांतरण	कुल
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पटना सिटी अंचल	8	0	0	0	0	0	18	2	26
2	अजीमाबाद अंचल	15	2	0	0	17	7	74	3	118
3	बांकीपुर अंचल	5	9	0	0	8	2	33	1	58
4	कंकड़बाग अंचल	1	1	0	0	18	5	72	0	64
5	नूतन राजधानी अंचल	9	5	6	0	6	4	33	1	70
6	पाटलिपुत्र अंचल	11	4	0	1	4	56	33	3	99
7	प्रधान कार्यालय, मौर्यालोक परिसर सफाई	1	0	0	0	0	0	1	0	2
	कुल	50	21	6	1	53	74	225	9	466

अ0प्र0सं0-02 :- वैश्विक महामारी (Covid -19) के परिपेक्ष्य में राज्य के सभी नगर निकायों में स्थायी/संविदा/दैनिक कर्मियों को 15 दिनों का मूल वेतन/मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- वैश्विक महामारी (Covid -19) के परिपेक्ष्य में राज्य के सभी नगर निकायों में स्थायी/संविदा/दैनिक कर्मियों को 15 दिनों का मूल वेतन/मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

श्री विनोद कुमार :- अध्यक्ष महोदय, नगर निगम में कार्यरत सफाई निरीक्षक, सफाई पर्यवेक्षक, चालक, सफाई कर्मी, जलापूर्ति शाखा में संलग्न सभी कर्मी एवं आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मी एवं चालकों को 4500 रुपये बोनस के रूप में भुगतान किया जा चुका है। मुख्यालय एवं अंचल कार्यालय के कर्मियों को भुगतान पर होने वाली राशि का आकलन कर सशक्त स्थायी समिति के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित किया गया।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री मनोज कुमार :- मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। भुगतान पर आकलन कर प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा जाय ताकि निर्णय लिया जा सके।

श्री विनोद कुमार :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। भुगतान का आकलन कर अगली बैठक में रखा जाय।

प्रस्ताव संख्या-246 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वैश्विक महामारी (Covid -19) के परिप्रेक्ष्य में राज्य के सभी नगर निकायों में स्थायी/संविदा/दैनिक कर्मियों को 15 दिनों का मूल वेतन/मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु राशि का आकलन कर सशक्त स्थायी समिति के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय।**

स्था०स०सं०-03 :- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क में एक नई श्रेणी **"Institutional Bulk Solid Waste Generator"** के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष :- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- अध्यक्ष महोदय, पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) द्वारा संचालित संप हाउस /ड्रेनेज पम्पिंग प्लांट्स में अत्यधिक मात्रा में ठोस अपशिष्ट उत्पन्न किया जाता है जिसे उठाने/डंपिंग करने में पटना नगर निगम का संसाधन का उपयोग ज्यादा होता है। पटना नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2019 में अत्यधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले संस्थानों तथा संप हाउस/ड्रेनेज पम्पिंग प्लांट्स पर कचरा शुल्क अधिरोपित करने हेतु एक नए शुल्क श्रेणी की आवश्यकता है। पटना नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2019 के अध्याय-XI, अनुसूची-I को डोर टू डोर सेवा के लिए कचरा शुल्क के तालिका के अंतिम क्रमांक के अनुसार अन्य, जो उल्लेखित नहीं है को स्थानीय स्थिति के आधार पर नगरपालिका निश्चित कर कचरा प्रबंधन शुल्क का निर्धारण किया जा सकता है।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव नियमावली में वर्णित ही है, इसे पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव निगमहित में है, इसे पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-247 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क में अत्यधिक ठोस कचरा निर्गत करने वाले संस्थानों जैसे पंप हाउस/ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन पर कचरा प्रबंधन शुल्क अधिरोपण हेतु एक नई श्रेणी "Institutiional Bulk Solid Waste Generator" बनाये जाने एवं इसका कचरा प्रबंधन शुल्क मो० 5000/-(पाँच हजार रुपये) प्रति माह के दर से निर्धारण करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

अ०प्र०सं०-04 :- राज्य सरकार द्वारा वर्द्धित मकान किराया भत्ता 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- वर्द्धित मकान किराया भत्ता 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- अध्यक्ष महोदया, राज्य सरकार की भाँति निगम के कर्मियों को भी मकान किराया भत्ता 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किये जाने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- अध्यक्ष महोदया, मकान किराया भत्ता 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किये जाने से वित्तीय भार कितना पड़ेगा इसका आकलन कर अगली बैठक में लाया जाय।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ, अन्य की राशि का भुगतान किया जाता है जिसके लिए 25 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है। मेरा सुझाव है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ, अन्य की राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- संवेदक लाभ की गणना करने की कार्रवाई की जा रही है। संवेदक लाभ जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा।

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ, इस प्रस्ताव को पारित किया जाए।

प्रस्ताव संख्या-248 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा वर्द्धित मकान किराया भत्ता 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को पुनः आकलन कर अगली बैठक में रखने हेतु सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अ०म०सं०-05 :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में संलग्न सभी प्रकार के वाहनों के सुचारू रूप से परिचालन हेतु पार्ट्स इत्यादि का क्रय किये जाने के लिए 03 (तीन) वर्कशॉप में कुल 15 (पंद्रह) लाख रूपये अर्थात प्रत्येक वर्कशॉप को 05-05 (पाँच-पाँच) लाख **Revolving** राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

अध्यक्ष :- Revolving राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- अध्यक्ष महोदय, पटना नगर निगम के कुल 06 अंचलों के लिए 03 वर्क शॉप यथा- बकरी बाजार(नूतन राजधानी अंचल तथा पाटलीपुत्र अंचल), कंकड़बाग अंचल (कंकड़बाग अंचल तथा बाँकीपुर अंचल हेतु) तथा पटना सिटी अंचल तथा अजीमाबाद अंचल(पटना सिटी अंचल तथा अजीमाबाद अंचल हेतु) निर्धारित है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य हेतु निगम अन्तर्गत चलने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों के सुचारू रूप से परिचालन हेतु पार्ट्स इत्यादि के क्रय किये जाने के लिए 03(तीन) वर्क शॉप में कुल 15(पन्द्रह) लाख रूपये अर्थात प्रत्येक वर्कशॉप को राशि 05-05 (पाँच-पाँच)लाख का Revolving राशि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, यह कार्य निरूपित में है। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि वाहनों के रख-रखाव नहीं होने की वजह से कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अथवा नई गाड़ियां भी

महापौर
पटना नगर निगम

मामूली मरम्मति नहीं होने की वजह से खराब हो जाती है। इसके लिए प्रत्येक वर्कशॉप के लिए Revolving Fund बना सकते हैं ताकि त्वरित रूप से गाड़ियों की मरम्मति की जा सके। इस प्रस्ताव को पारित किया जाए।

श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय पार्षद की बातों से सहमत हूँ। वाहन शाखा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। Revolving Fund उपलब्ध होने से वाहनों के सुचारू रूप से परिचालन हेतु पार्ट्स इत्यादि का क्रय कर स्टॉक में रखा जा सकता है। इससे तत्काल वाहनों की मरम्मति हो सकती है।

प्रस्ताव संख्या-249 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में संलग्न सभी प्रकार के वाहनों के सुचारू रूप से परिचालन हेतु पार्ट्स इत्यादि का क्रय किये जाने के लिए 03 (तीन) वर्कशॉप में कुल 15 (पंद्रह) लाख रूपये अर्थात प्रत्येक वर्कशॉप को राशि 05-05 (पाँच-पाँच) लाख Revolving Fund (राशि) वाहन शाखा को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0प्र0सं0-06 :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थापित करने हेतु 01 (एक) **Lathe Machine, 01 (एक) 3 Phase welding machine and 01 (एक) Bench vice machine** क्रय करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- मशीन क्रय करने का प्रस्ताव है। स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- अध्यक्ष महोदया, पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में संलग्न सभी प्रकार के वाहनों की मरम्मति के लिए एक लेथ मशीन, एक हाईड्रोलिक प्रेशर मशीन, तीन फेज वेल्डिंग मशीन एवं एक बेंच वाईस मशीन क्रय करने का प्रस्ताव है। इसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- अध्यक्ष महोदया, निगम हित में वाहनों की मरम्मति के लिए एक लेथ मशीन, एक हाईड्रोलिक प्रेशर मशीन, तीन फेज

महापौर
पटना नगर निगम

वेल्डिंग मशीन एवं एक बेंच वाईस मशीन क्रय करना आवश्यक है। इसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय पार्षद के विचार से सहमत हूँ। प्रस्ताव की स्वीकृति दी जा सकती है।

प्रस्ताव संख्या-250 :- <u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थापित करने हेतु 01 (एक) **Lathe Machine, 01 (एक) 3 Phase welding machine and 01 (एक) Bench vice machine** क्रय करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।</u>

अ०म०सं० -07 :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में संलग्न विभिन्न प्रकार के ई-वाहनों के लिए **Battery Swapping Policy** के तहत नई बैट्री के स्थान पर वाहनों में **Swapping** के आधार पर **Battery** को प्रतिस्थापित करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- वाहनों में स्वैपिंग के आधार पर बैट्री को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम में विभिन्न प्रकार के वाहन कार्यरत हैं। जिसका परिचालन एवं रख-रखाव निगम द्वारा किया जाता है। विदित हो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में वाहनों के परिचालन हेतु बैट्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अत्यधिक परिचालन के कारण आए दिन बैट्री खराब होने की शिकायत मिल रही है। जिसके क्रय में निगम को अधिक आर्थिक लागत आती है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में Battery Swapping Policy को अपनाया गया है, जो निम्न प्रकार कार्य करता है :-

1. बैट्री स्वैपिंग पॉलिसी एक ऐसा तंत्र है, जिसके तहत चार्ज की गई बैट्री को चार्ज खत्म हो चुकी बैट्री से बदला जाता है।
2. इन बैटरियों को अलग से चार्ज करने की सुविधा प्रदान करता है और न्यूनतम डाउन टाईम के साथ वाहन को परिचालन मोड में रखता है।

महापौर पटना नगर निगम

3. इन बैटरियों में ही जी.पी.एस. अधिष्ठापित रहता है जिससे वाहन तथा बैटरी की समस्त निगरानी की जा सकेगी। साथ ही इसके माध्यम से सफाई कार्य पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा।

अतः ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में संलग्न विभिन्न प्रकार के ई-वाहनों के लिए Battery Swapping Policy के तहत नई बैटरी के स्थान पर वाहनों में Swapping के आधार पर बैटरी को प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कु० सिन्हा :- अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव निगम हित में है। इसे पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-251 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में संलग्न विभिन्न प्रकार के ई-वाहनों के लिए **Battery Swapping Policy** के तहत नई बैटरी के स्थान पर वाहनों में **Swapping** के आधार पर **Battery** को प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद् को अनुशंसित किया जाता है।

अनु०सं०-08 :- **Supply, erection and commissioning of human electric crematorium at Nandgola Ghat with 5 year maintenance under PMC.**

अध्यक्ष :- प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है। स्पष्ट करें।

विगत कई बैठकों में निम्नांकित मामलों का प्रस्ताव लाया गया है तथा उसकी स्वीकृति भी औपचारिक रूप से दी जाती रही है। नन्दगोला घाट के स्थानीय निवासियों की सुविधाओं को ध्यान

महापौर
पटना नगर निगम

में रखते हुए उक्त घाट पर विद्युत शवदाह मशीन के अधिष्ठापन हेतु प्राक्कलित राशि 1,83,6600.00 रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति देने हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कु० सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थानीय निवासियों की मांग के मद्देनजर सशक्त स्थायी समिति में कई बार चर्चा हुई एवं निर्णय भी लिया गया था कि यहां के स्थानीय निवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नन्दगोला घाट पर विद्युत शवदाह मशीन स्थापित की जाय। यह कार्य जनोपयोगी है। इसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पार्षद के प्रस्ताव से सहमत हूँ। नन्दगोला घाट पर विद्युत शवदाह गृह मशीन अधिष्ठापित होने एवं विद्युत शवदाह गृह का निर्माण होने से स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिलेगा। इस प्रस्ताव को सर्वहित में पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-252 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि **Supply, erection and commissioning of human electric crematorium at Nandgola Ghat with 5 year maintenance under PMC** जिसकी प्राक्कलित राशि 1,83,60,600 रूपये है की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

अ0प्र0.सं0 -09 :- पटना नगर निगम के अन्तर्गत शौचालयों की बन्दोबस्ती जिसकी अवधि समाप्त हो गयी है या होने जा रही है की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में एवं अवधि समाप्ति के बाद कितनी राजस्व की वसूली हो रही है, का प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।

अध्यक्ष :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत शौचालयों की बन्दोबस्ती जिसकी अवधि समाप्त हो गयी है या होने जा रही है तथा उक्त शौचालय से कितनी राजस्व की वसूली हुई है। प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। स्पष्ट करें।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री आशीष कु० सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कोई प्रतिवेदन नहीं आया है। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि जिन शौचालयों की समय सीमा समाप्त हो गयी है वहाँ पर गलत तरीके से अभी भी वसूली की जा रही है। शौचालय का एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है जो गलत तरीके से आम नागरिकों को परेशान कर वसूली कर रहा है। पटना नगर निगम को कोई राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि ऐसी ही स्थिति है तो क्यों नहीं नगर निगम सभी शौचालयों को राजस्व वसूली से मुक्त कर दें और रख-रखाव हेतु स्वच्छाग्रहियों को सौंप दिया जाय ताकि आम नागरिक उसका मुफ्त में लाभ ले सके। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सारी व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की जा रही है परन्तु राजस्व बिचौलियों की जेब में जा रहा है। मेरा निवेदन है कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वैसे सभी शौचालय जिसका एकरारनामा समाप्त हो चुका है। उसकी सम्पूर्ण सूची सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखी जाय।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पार्षद के प्रस्ताव से सहमत हूँ। स्वच्छता सर्वेक्षण के समय इन सीवरहीन शौचालयों की वजह से निगम प्रशासन को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। शौचालय को संचालित करने वाली एजेंसी की कुव्यवस्था के कारण आज भी पटना नगर निगम अपने शहरवासियों को स्वच्छ एवं सुन्दर शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा पाने में असफल हो रहे हैं। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-283 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के अन्तर्गत शौचालयों की बन्दोबस्ती जिसकी अवधि समाप्त हो गयी है या होने जा रही है की सूची उपलब्ध कराने एवं अवधि समाप्ति के बाद राजस्व की वसूली से संबंधित प्रतिवेदन सशक्त स्थायी समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ०प्र०सं०-10 :- श्री श्याम कुमार, संविदा चालक, पटना नगर निगम का संविदा अवधि विस्तार के संबंध में।

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- श्री श्याम कुमार, संविदा चालक का संविदा विस्तार का प्रस्ताव है। स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- न.वि.एवं.आ.वि. बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-5/न.वि./वि.-159/2015-4956, दिनांक-17.09.2018 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में वैसे तकनीकी कर्मी जिनकी सेवा आवश्यक प्रतीत होती है को विशेष परिस्थिति में संविदा पर नियोजन प्रथमतः 65 वर्ष तक एवं बाद में 67 वर्ष तक संविदा के आधार पर सेवा ली जा सकती है।

श्री श्याम कुमार, संविदा चालक, पटना नगर निगम की संविदा अवधि दिनांक-13.07.2024 को समाप्त हो रही है।

इसी के आलोक में श्री श्याम कुमार, संविदा चालक को पुनः 01 वर्ष की सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कु० सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, श्री श्याम कुमार संविदा चालक दक्ष एवं कुशल कर्मी हैं इन्हें 01 साल की संविदा अवधि विस्तार की स्वीकृति दी जा सकती है।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पारित किया जाए।

प्रस्ताव संख्या-284 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री श्याम कुमार, संविदा चालक, पटना नगर निगम को दिनांक-13.07.2024 से एक वर्ष (दिनांक-12.07.2025 तक) के लिए संविदा अवधि विस्तार के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अ0प्र0सं0-11 :- मौजा-मोहम्मदपुर, बाकरगंज, वार्ड पथ स्थित पटना नगर निगम की भूमि म्यु० खेसरा संख्या-867, पटना सिटी म्युनिसिपल्टी, रकबा-69 डी०, पर निर्मित 01 से 36 स्टॉल/दुकानों के संबंध में।

अध्यक्ष :- मौजा- मोहम्मदपुर, बाकरगंज, वार्ड पथ स्थित पटना नगर निगम की भूमि म्यु० खेसरा सं0-867, पटना सिटी म्युनिसिपलिटी, रकबा-69डी0, पर निर्मित कुल 36 स्टॉल दुकानों के आवंटन से संबंधित प्रस्ताव है। स्पष्ट करें।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- माननीय उच्चन्यायालय द्वारा समादेश याचिका संख्या–3209/2023 (नौशाद आलम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 03.04.2023 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है–

"At the outset, the learned senior counsel for the petitioner seeks liberty on behalf of the petitioner to approach the Municipal Commissioner, Patna Municipal Corporation, Patna and the Circle Officer, Patna Sadar for redressal of his aforesaid grievances.Liberty so sought is granted.

It is needless to say that in case appropriate representation is filed, within a period of four weeks from today, the same shall be considered, in accordance with law, and a reasoned and a speaking order shall be passed thereon, within a period of eight weeks thereafter, after hearing the effected parties.

The writ petition stands disposed off on the aforesaid terms."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका संख्या–3209/2023में दिनांक 03.04.2023 को पारित उक्त आदेश में अंचलाधिकारी पटना सदर एवं पटना नगर निगम को आवेदक/याचिकाकर्त्ता के आवेदन के निष्पादन के संबंध में आदेश पारित किया गया है।

समादेश याचिका संख्या–3209/2023में पारित आदेश दिनांक–03.04.2023 के आलोक में याचिकाकर्त्ता नौशाद आलम के द्वारा दिनांक–05.04.2023 को समर्पित कराये गये अभ्यावेदन मुख्य बिन्दु, प्रस्तुत है–

"I, Naushad Alam, S/o Adalat Husain, Resident of Mohalla New Azimabad Colony, P.S. Bahadurpur, District- Patna had filed writ application being C.W.J.C. No. 3209/2023 before Hon'ble Patna High Court, for issuance of writ in the nature of mandamus directing the Municipal/State authorities to remove encroachment over the public land made by the unauthorized persons/ encroachers appertaining to Mauja-Moharampur, Thana no 137 Mohalla Bakerganj, Municipal Khesra no. 867, whereby 13 to 14 persons have made encroachment over the public land by constructing their shops causing much inconvenience to general public at large in smooth movement of the traffic on highly commercial and busy road, namely "Bari Path" passing through Hathwa road. It was further pointed out that those persons by their inaction have in fact frustrated the very purpose for which, I was asked to leave 6 meters open space in front of my commercial building.

Apart from aforestated relief it was further prayed for issuance of direction upon the Circle Officer, Patna Sadar and the Executive Officer, Bankipur Circle P.M.C. Patna to cooperate/coordinate in themselves and instead of extending/ passing on responsibility on each other for removing encroachment, both of them be directed to work together and remove the encroachment to facilitate easy movement of traffic on the busy road, which is popularly known as Bari Path and passes through Hathwa Market to Birla Mandir.

That the Hon'ble Patna High Court after hearing the parties was pleased to dispose of the writ application vide order dated 03.04.2023 granting liberty to me to file a fresh representation before the

महापौर
पटना नगर निगम

Municipal Commissioner, P.M.C. Patna within four weeks, whereupon the said representation is to be disposed of by passing reasoned order within eight weeks of filing of said representation, that too after hearing the parties. In compliance of aforesaid liberty granted by the Hon'ble Patna High Court the present representation is being filed.

That for proper appreciation of the issues involved herein to be adjudicated upon is, that I have got my commercial complex appertaining to MaujaMoharampur, Thana no. 137, Mohalla Bakerganj, Municipal area, which abuts the main road popularly known as "Bari Path" On account of encroachment made by some unauthorized persons over piece of land of MaujaMoharampur, Thana no. 137, Mohalla - Bakerganj, Municipal Khesra no. 867 by constructing small shops, hurdle has been created in free movement of public at large, thereby it has culminated in heavy traffic jam over that road causing much inconvenience to public at large passing through that road.

That in this background, I had no other option than to file a petition, which was filed on 09.12.2022 before the Executive Officer, Bankipur Circle, Patna Municipal Corporation (herein after referred to as P.M.C) Patna requesting therein to remove encroachment from the public land. In the said petition it was clearly mentioned that over the public road, which is very busy road passing through the Hathwa Market to Birla Mandir, about 12 to 13 persons have illegally constructed small shops and have caused encroachment over the public land. In the said application I had specifically pointed out that although a multi storied commercial building in name and style known as "Urban Plaza" has been constructed by me over a piece of land abutting the said busy road as per the map sanctioned by P.M.C., after leaving about 6 meter open space in the front side for purposes of widening under the master plan. But due to encroachment made by those people over the front of road by constructing small shops, widening is not possible unless and until encroachment is removed by the authorities. Thus I had made prayer to initiate proceeding under Public Land Encroachment Act, and after following due process of law, encroachment found over public land be removed for convenience of public at large as well as for achieving the object for which the municipal authorities while sanctioning the map had compelled me to leave 6 meter land on the front side.

That it is stated that Executive Officer Bankipur Circle, P.M.C, Patna responded on application filed by me and asked the Executive Engineer, of Bankipur Circle to take necessary action Needless to say that the Executive Engineer responding upon instruction issued by the Executive Officer, put his note over the application filed by me on 10.12.2022 to the extent that responsibility for removing encroachment from road is at the level of Circle Office. However, instead of taking any action in that regard he put remark as to whether

महापौर
पटना नगर निगम

the concerned apartment/commercial building has been constructed as per the sanctioned plan or not ?

That it is stated that prior to the aforesaid application dated 09.12.2022 filed before the Executive Officer, Bankipur Circle, Patna, I had already filed a petition before your Goodship i.e the Commissioner, Patna Municipal Corporation, Patna on 28.09.2021 requesting therein for removal of 34 kiosk situated in front of the building (urban Plaza), which encroaches upon the strip of land to be left for widening of road under master plan but no head towards redressal of my grievance was paid.

That it is stated that the Circle Officer, Patna Sadar vide letter no. 10207, dated 12.12.2022 Wrote letter to the Executive Officer, Bank pur Circle, P.M.C. Patna stating therein that from report submitted by the revenue Karmchari and circle amine, it is quite evident that 14 to 15 shops (kiosk) have been constructed over the road passing through Hathwa Market to Birla Mandir, which causes obstruction in free movement of traffic, in the said letter it has been further pointed out that the Circle Amine has reported that the said land is recorded in Municipal Khatiyan as land of "Patna City Municipality and nature of that land is Nala (sewerage) with area 0.89 decimal. In the aforesaid report the Circle Amine has suggested that for removal of encroachment appropriate steps can be taken.

That it is further stated that in response to the aforesaid letter dated 12.12.2022 written by the Circle Officer, Patna sadar on 24-12.2022, the Executive Officer of P.M.C. wrote letter bearing letter no. 3505 addressed to your Goodship intimating that in response to application filed by me, from report of revenue Karmchari it is apparent that under Bankipur Circle, ward no. 39, Mohalla Bakerganj, Bari path particularly the main road which passes through the Hathwa Market to Birla Mandir road 30-35 shops have been allotted by the Patna Municipal Corporation.

That it is stated that the Anchal Amine vide his report dated 06.12. 2022 addressed to the Circle Officer, Patna Sadar has reported that after comparison from survey municipal map, measurement work was undertaken for land appertaining to Mauja - Moharampur, Thana no. 137, ward no. 2, sheet no 62, in which it has been reported that about 13 persons have illegally encroached the municipal land to the extent of 9 ft x 8 ft. In this report it has been clearly stated that after the boundary of commercially constructed building i.e. Urban Plaza over the land of road, 13 shops are situated, in fact details of those shopkeepers has been mentioned in the report indicating the extent of encroachment made by them and has reported that after due enquiry action can be taken.

That it is stated that from perusal of municipal Khatiyan, it is apparent that land of Khesra no. 867, area .89 decimal of Mohalla Bakerganj, is recorded in the name of Patna City Municipality and nature of land is Nala (sewerage)

महापौर
पटना नगर निगम

That it is stated that in fact on 30.12.2022, I had filed representation before the District Magistrate, Patna highlighting the fact that although land has been left for expansion of road namely Bari path, but 10 to 11 persons have illegally constructed shops by making encroachment over the busy road causing problem of traffic jam. In the said representation name of shopkeepers who have raised construction over the public land was mentioned. In these backgrounds prayer was made to remove encroachment after following the process of law.

That it is stated that from the facts stated in preceding paragraphs, it clearly emerges that the land as indicated above admittedly belongs to the Patna Municipal Corporation as such in view of provision contained under section 104 of Bihar Municipal Act, 2007, the P.M.C has got all authority to dispose of said property with prior approval of the state government in manner provided under that provisions more particularly when the municipality so requires for reasons to be recorded in writing.

In this background it is humbly stated and submitted that admittedly the said land belongs to Patna Municipality and as per the master plan adopted by the P.M.C, said road has to be widened for that purpose P.M.C. cannot renew or grant fresh license to anyone else for raising any construction over that land. It is further submitted that in this background all those shopkeepers who are running their shops now in view of adoption of master plan, cannot be settlee of P.M.C. because their settlement has not been renewed. Thus in absence of any renewal of their settlement they have acquired status of merely a encroacher.

That it is further submitted that similarly section 260 of Bihar Municipal Act, 2007, clearly provides that the P.M.C has got authority to stop improper use of land or building. In this case admittedly all those persons who are running shops over the encroached portion without renewal of their license falls in category of improper use of land, therefore the P.M.C should exercise power under that provision and improper use should be stopped.

That it is stated that section 280 (g) of Bihar Municipal Act, 2007 makes provision for imposition of conditions and restrictions in regard to the open spaces to be maintained around any building, percentage of built-up area for a plot, number, height and character of buildings allowed in specified areas, sub-divisions of plots, discontinuance of objectionable use of land of building in any area for specified period....... In this case admittedly the locality in question is under improvement scheme as such in view of aforesaid provision the P.M.C is legally obliged to impose conditions and restrictions in regard to the open space to be maintained around my building "Urban Plaza. Similarly section 280 (i) further provides for demolition of obstructive buildings or portions thereof That apart section 208 (o) further provides for specific provision for open space. Therefore in view of

महापौर
पटना नगर निगम

provision contained under section 208 (q) and further in view of facts pleaded hereinabove it is expedient to make provision with view to improving the area to which the scheme relates.

That in this background it is humbly requested to take legal action for removal of encroachments made by 13-14 persons as reported by the HalkaKarmchari of Patna Sadar block so that the purpose for which I have been compelled to keep 6 meter land vacant in the front side of my commercial building, at the time of sanction of plan map, could be achieved."

याचिकाकर्ता नौशाद आलम के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन दिनांक-08.04.2023 में प्रश्नगत भूमि पटना नगर निगम से संबंधित होने की बात कहते हुए प्रश्नगत स्थल पर अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण कर निर्मित दुकानों का हवाला देते हुए सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका संख्या-3209/2023 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2023 के अनुपालन में अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा ज्ञापांक-10360, दिनांक 28.12.2023 से प्रश्नगत खेसरा संख्या-667 के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल को पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

अंचलाधिकारी, पटना सदर के उक्त पत्र ज्ञापांक-10360, दिनांक 28.12.2023 के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल, पटना नगर निगम के द्वारा पत्रांक-4096 दिनांक 30.12.2023 से अंचलाधिकारी, पटना सदर को यह सूचित किया गया है कि वार्ड नं0 स्थित (सुधा मार्केट) के बगल में कुल 1 से 36 तक निर्मित स्टॉल पटना नगर निगम की भूमि पर आवंटित है।

पुनः कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल, पटना नगर निगम के द्वारा पत्रांक-277 दिनांक 31.01.2024 इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें यह उल्लेखित करते हुए कि वार्ड नं0 स्थित मौजा-मोहम्मदपुर, थाना-137, के अन्तर्गत बाकरगंज स्थित म्यु0 होल्डिंग संख्या 667, करीब में अवस्थित निर्मित स्टॉल कुल 1 से 36 पटना नगर निगम की भूमि पर है (कुल 36 स्टॉल भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को आवंटित है।) कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल के द्वारा अपने उक्त पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका संख्या-3209/2023 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2023 के अनुपालन में अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या-44/2023-24 (बिहार सरकार बनाम मो0 आसिफ एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 09.01.2024 की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।

अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या-44/2023-24 बिहार सरकार बनाम मो0 आसिफ एवं अन्य में, वार्ड नं0-8, सीट नं0-62, स्थित म्यु0 होल्डिंग नं0-667, पटना सिटी म्युनिसिपैलिटी, जिला अंचल-पटना, थाना-कोतवाली भूखंड को लोकभूमि (Public Land) तथा उक्त भूखंड पर अवस्थित 15-दुकानों/स्टॉलों को अतिक्रमण घोषित करते हुए प्रश्नगत भूमि पर पटना नगर निगम द्वारा विधिवत आवंटित दुकानों/स्टॉलों को खाली कराने की कार्रवाई हेतु दिनांक-09.01.2024 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है–

महापौर
पटना नगर निगम

"1. CWJC No. 3209/2023में पारित आदेश दिनांक-23.04.2023 एवं याचिका कर्ता श्री नौशाद आलम के द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वर्णित 15 दुकान/स्टॉल, जो याचिका कर्ता के आवासीय प्लॉट (अर्श प्लाजा) के सामने अवस्थित है, तथा जिनमें पथ बाधा बनाते हुए अतिक्रमण की धारा-3 के तहत प्रपत्र-1 में सूचना निर्गत किया गया एवं उनका पक्ष सुना गया है, को ही अतिक्रमण घोषित किया गया है।उक्त भूखंड पर अवस्थित शेष 21 दुकानों को हटाने की कार्रवाई से तत्काल मुक्त रखा गया है।नगर निगम-बांकीपुर अंचल, पटना के द्वारा उक्त 21 दुकानों को अन्यत्र शिफ्ट करने/उनका आवंटन रद्द करने के पश्चात ही इस पर अतिक्रमणवाद की कार्रवाई किया जाएगा।

2. याचिकाकर्ता श्री नौशाद आलम के शपथ पूर्वक घोषणा के अनुसार दुकानदारों को आवंटित स्थल से बाहर की जगह में दुकान के रूप में अपने आवासीय प्लॉट (अर्श प्लाजा), में तीसरे तल्ले पर निःशुल्क दुकान उन्हें देंगे। उनके शपथ पूर्वक घोषणा के आलोक में उन्हें आदेश दिया जाता है कि एक महीने के भीतर उन सभी चिन्हित दुकान वालों को निःशुल्क दुकान का आवंटन/उनके नाम से निबंधन करने की कार्रवाई करें। सभी चिन्हित 15 दुकानदार/स्टॉल के मालिक श्री नौशाद आलम से सम्पर्क कर दुकानों का निबंधन अपने नाम से करवाने एवं दुकान को व्यावसायिक प्लॉट अर्श प्लाजा, में शिफ्ट करने की कार्रवाई करेंगे। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि सभी चिन्हित 15 दुकान वालों को भविष्य में नगर निगम द्वारा उन्हें आवंटित दुकानों के बदले कहीं नई स्थान पर दुकान आवंटित करने में उनकी अस्वीकृति तथा स्थायी [illegible] बरकरार रहेगी।नगर निगम द्वारा भविष्य में उन्हें अन्यत्र दुकान का आवंटन करने में उन सभी को पहली प्राथमिकता देनी होगी।अर्श प्लाजा में उनके नाम से आवंटित दुकान उन्हें अतिरिक्त सुविधा के रूप में एवं लोकहित में तत्काल अतिक्रमण हटाने कराने की कार्रवाई के बदले में दिया जा रहा है।

3. यदि श्री नौशाद आलम (इस वाद के आवेदक) अपने घोषणा के अनुसार दुकान का आवंटन कर देते हैं, तो सभी 15 चिन्हित दुकानदार आवंटित जगह में अपना दुकान तथा स्टॉल शिफ्ट करने की कार्रवाई करेंगे।

4. व्यापक लोकहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त भूमि पर आवंटित दुकानों को नगर निगम (बांकीपुर-अंचल), पटना द्वारा चिन्हित उन दुकानों का आवंटन रद्द करने तथा उन दुकान वालों को अन्यत्र दुकान/स्टॉल आवंटन करने की कार्रवाई नियमानुसार किया जायेगा। CWJC No-3209/2023 में पारित आदेश दिनांक-23.04.2023 के अनुपालन हेतु प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले उन 15 दुकानों का आवंटन रद्द करने/अन्यत्र शिफ्ट करने की कार्रवाई किया जायेगा, जिन्हें इस सिविल अतिक्रमण वाद में पारित आदेश से हटाया जाना है। शेष 21 दुकानों का आवंटन भी यथा शीघ्र रद्द करने तथा अन्यत्र शिफ्ट करने की नियमानुसार कार्रवाई किया जाय।

CWJC No. 3209/2023 में पारित आदेश दिनांक-23.04.2023 का अनुपालन नहीं हो पाने के कारण याचिका कर्ता श्री नौशाद आलम के द्वारा contempt petition (MJC)दायर किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसलिए उपरोक्त अंकित आदेशों के यथा शीघ्र अनुपालन हेतु सभी संबंधितों को सूचित किया जाय। आदेश की सूचना सभी पक्षों को दिया जाए।पारित आदेश से विक्षुब्ध पक्ष अधिनियम की धारा-11 के तहत अपीलीय न्यायालय (समाहर्त्ता-पटना का न्यायालय) में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र है।"

पटना नगर निगम
मुख्य कार्यालय
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा पारित आदेश में प्रश्नगत भूखण्ड पर नाला होने के अस्तित्व की बात कही गयी है, जब कि पटना शहर के परिवेशीय सुधार एवं समग्र विकास के क्रम में यह सर्वविदित है कि पटना शहर के ऐसे कई जगहों पर जहाँ आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुराने खुले नालों का औचित्य के उपरान्त जन सुविधा प्रदान किया जाना संभव नहीं था ऐसी स्थिति में क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिये खुले नाले को अण्डर ग्राउण्ड नाले के रूप में परिवर्तित किया गया है और खुले नालों के भूतल पर अन्य शहरी जनसुविधा एवं क्षेत्र के विकास के उपयोग में लाने का प्रयास निरन्तर किया जाता रहा है। उदाहरण स्वरूप यथा–(1) [illegible] क्षेत्र स्थित [illegible] रोड (आर.के.एवेन्यू रोड) में खुला नाला था जिस पर परिवेशीय सुधार में तथा जन सुविधा को देखते हुए पटना शहर के समुचित विकास एवं आवागमन की समस्या का निराकरण हेतु खुले नाला को ढ़ककर कालान्तर में विकसित किया गया।इसी तरह बेली रोड में नाला पुल [illegible] से बोरिंग कैनाल रोड के मध्य भाग में काफी दूर तक का अण्डर ग्राउण्ड नाला को विकसित करते हुए उस के ऊपरी भाग पर भिन्न–भिन्न तरह के जन उपयोगी सुविधायें स्थापित किया गया है। (2) [illegible] में [illegible] दीघा सड़क के किनारे मौजूद खुले नाले को ढक कर सड़क और अन्य विकास कार्य कर उक्त क्षेत्र का परिवेशीय सुधार किया गया है। (3) बेली रोड अवस्थित [illegible] नाला (खुला नाला) की परिवेशीय सुधार के तहत कवर किये जाने का कार्य प्रगति पर है जिसके कवर होने के उपरान्त शहरी क्षेत्र के विकास हेतु एवं जनसुविधा के तहत अन्य आवश्यक सुविधा स्थापित किया जाना है।

कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल, पटना नगर निगम के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन एवं अभिलेख में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि मौजा–[illegible], बाकरगंज स्थित प्लॉट/खेसरा संख्या 407 पटना नगर निगम की भूमि है तथा उक्त भू–खण्ड पर पटना नगर निगम द्वारा स्टॉलों (कुल 36) का निर्माण के उपरान्त वर्ष 1982 के दशक से किराये पर आवंटित किया गया है। निगम द्वारा आवंटित उक्त दुकानों के किराये की मद में संबंधित आवंटियों के द्वारा किराये का भुगतान किया जा रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित याचिका संख्या–3238/2023 ([illegible] बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) के दिनांक 03.04.2023

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मौजा–[illegible], बाकरगंज स्थित प्लॉट/खेसरा संख्या 407 पटना नगर निगम का भू–खण्ड है तथा उक्त स्थल पर निगम द्वारा निर्मित स्टॉलों (कुल 36) का आवंटन तत्कालीन

पटना नगर निगम के स्थायी समिति/निगम पर्षद द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में भिन्न–भिन्न व्यक्तियों को किराये पर आवंटित किया गया है। निगम द्वारा निर्मित एवं आवंटित उक्त स्टॉलों/दुकानों को अतिक्रमण में चिन्हित नहीं किया जा सकता है।साथ ही वर्तमान समय में निगम के पास अन्यत्र ऐसी जगह उपलब्ध नहीं है जहाँ इन दुकानदारों को व्यवस्थित/स्थानान्तरित किया जाना संभव हो सके।

अतएव खसरा/खेसरा संख्या 407 पर निर्मित स्टॉलों/दुकानों के संबंध में सम्पूर्ण स्थिति बिहार नगरपालिका कार्य संचालन नियमावली 2010 के नियम [illegible] के अंतर्गत सशक्त स्थायी समिति/निगम पर्षद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ नगर आयुक्त अनुशंसा करते हैं।

महापौर
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संलेख से स्पष्ट होता है कि याचिका कर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना वाद संख्या-3267/2023 दाखिल किया गया है, जो विचाराधीन है। बिहार नगरपालिका सशक्त स्थायी समिति कार्य संचालन नियमावली 2010 की धारा 10(4) (ख) में स्पष्ट प्रावधान है कि, सशक्त स्थायी समिति विचार और प्रस्ताव पारित नहीं करेगा, यदि कोई विषय जो किसी न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः मेरा सुझाव है कि माननीय उच्च न्यायालय से अंतिम आदेश पारित होने के पश्चात ही तदनुरूप कार्रवाई की जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश पारित होने के उपरांत ही इस विषय पर विचार किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूँ।

प्रस्ताव संख्या-255 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मौजा-मोहद्दीपुर, काकड़गांव, थाना एवं जिला पटना नगर निगम की भूमि म्यु0 खेसरा संख्या-867, खाता सिटी म्यूनिसिपैल्टी, रकबा-89 डी0, पर निर्मित 01 से 36 स्टॉल/दुकानों के संबंध में याचिका कर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना वाद संख्या-3267/2023 दाखिल किया गया है जो विचाराधीन है। बिहार नगरपालिका सशक्त स्थायी समिति कार्य संचालन नियमावली,2010 की धारा 10(4) (ख) में दिये गये प्रावधान के अनुसार सशक्त स्थायी समिति विचार और प्रस्ताव पारित नहीं करेगा, कोई विषय जो किसी न्यायालय में विचाराधीन है।

अ0म0सं0-12 :- 15वें वित्त आयोग की परिवेशीय वायु गुणवत्ता घटक अन्तर्गत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु प्राप्त राशि में से बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड को आवंटित राशि में से व्ययोपरान्त शेष राशि को Patna

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

Urban Agglomeration (PUA) एवं RCD को आवंटित करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- नगर आयुक्त, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- अध्यक्ष महोदय, 15वें वित्त आयोग परिवेशीय वायु गुणवत्ता सुधार हेतु पटना नगर निगम को 204 करोड़ रूपये आवंटित किया गया था जिसमें से 40.8 करोड़ की राशि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हस्तांतरित किया गया था। आवंटित राशि में से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा व्यय के बाद शेष बची राशि 19.09 करोड़ रूपया वापस कर दिया है।

NCAP के अन्तर्गत प्रदूषण बोर्ड को आवंटित राशि में से शेष अव्ययित राशि का व्यय परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए State Lavel Monitoring & implementation committee की पंचम बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास राशि 19.09 करोड़ रू० को पथ निर्माण विभाग (RCD) एवं Patna Urban Agglomeration (PUA) के तहत 04 (चार) नगर परिषद- यथा (क) दानापुर निजामत, नगरपालिका (ख) फुलवारी शरीफ, नगरपालिका (ग) खगौल, नगरपालिका (घ) सम्पत चक, नगरपालिका द्वारा वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव प्राप्त कर विभागीयस्तर राशि आवंटित किया जाना है। उक्त के आलोक में प्रस्ताव प्राप्त कर लिया गया है जिसकी सूची संलग्न है। उपरोक्त आवंटन के संबंध में सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विचार्थ अपेक्षित है।

श्री आशीष कु० सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद अव्ययित शेष राशि पटना नगर निगम को हस्तान्तरित किया गया है। उस राशि में से 04 (चार) नगर परिषद-(क) दानापुर निजामत, नगरपालिका (ख) फुलवारी शरीफ, नगरपालिका (ग) खगौल, नगरपालिका (घ) सम्पत चक, नगरपालिका को लिए 1-1 अदद स्वीपिंग मशीन खरीदने हेतु प्रति स्वीपिंग मशीन 1.30 करोड़ रूपये एवं चौक में पेन्ट लगाने के लिए आरसीडी को 10 करोड़ रू0 आवंटित किया जा सकता है।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ चारों नगर परिषद (क)दानापुर निजामत नगरपालिका (ख) फुलवारीशरीफ नगरपालिका (ग) खगौल नगरपालिका एवं (घ) सम्पतचक नगरपालिका को स्वीपिंग मशीन क्रय करने हेतु प्रति स्वीपिंग मशीन 1.30 करोड़ रू० तथा आर०सी०डी० को चौक में पेवर लगाने हेतु 10 करोड़ रू० आवंटित किया जा सकता है।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के प्रस्ताव से सहमत हूँ इसे पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय सदस्यों के प्रस्ताव से सहमत हूँ इसे पारित किया जाय।

उप-महापौर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-256 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 15वें वित्त आयोग के परिक्षेत्रीय वायु गुणवत्ता घटक अन्तर्गत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु प्राप्त राशि में से बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड को आवंटित राशि में से व्ययोपरान्त शेष राशि को 04 (चार) नगर परिषद-(क) दानापुर निजामत, नगरपालिका (ख) फुलवारी शरीफ, नगरपालिका (ग) खगौल, नगरपालिका (घ) सम्पत चक, नगरपालिका के लिए 1-1 अदद स्वीपिंग मशीन हेतु प्रति स्वीपिंग मशीन 1.30 करोड़ रू० एवं आर०सी०डी० को प्रमुख पथों पर (ब्लॉक टॉप) पेभर लगाने हेतु 10 करोड़ रू० देने के प्रस्ताव को प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम बोर्ड को अनुशंसित किया जाता है।

अ०प्र०सं०-13 :- नई अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत नियोक्ता अंशदान की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने के संबंध में।

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- अंशदान की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 01.09.2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों (बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना,2005) पर लागू किया गया है। इसके तहत कर्मचारियों को मासिक वेतन से 10 प्रतिशत एवं नियोक्ता के द्वारा 10 प्रतिशत राशि जमा किया जा रहा है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के एन0पी0एस0 खाते में जमा हो रहा है।

वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-717, दिनांक-29.07.2019 के आलोक में पेंशन अंशदायी राशि को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत जमा करने का प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संचिका से स्पष्ट है कि निगम कर्मियों का PRAN NO. Generate नहीं रहने के कारण वेतन से काटी गयी कर्मचारी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की राशि संबंधित कर्मचारी के बैंक ऑफ बड़ौदा, मौर्यालोक शाखा, पटना के अंशदायी भविष्य निधि खाता में जमा किया जा रहा है। इससे सभी कर्मियों का अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत PRAN NO. निबंधित कराने की कार्रवाई की जाय। तत्पश्चात इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्मियों का PRAN NO. निबंधित कराने हेतु सी0एफ0 टीम को अधिकृत किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के विचारों से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

अध्यक्ष महापौर :- माननीय अध्यक्ष महोदया, सर्वप्रथम कर्मियों का PRAN NO. निबंधित कराने हेतु कार्रवाई की जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या-257 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मियों का सर्वप्रथम PRAN NO. निर्धारित करने हेतु सी०ए० टीम को अधिकृत किया जाता है। कर्मियों का PRAN NO. निर्धारित होने के उपरांत उक्त प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्र०सं०- 14 Development of Multi Level Automatic Car Parking at mauryalok complex के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

अध्यक्ष :- अनापत्ति प्रमाण -पत्र का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- अध्यक्ष महोदय, पटना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत Development of Multi Level Automatic Car Parking at Mauryalok Complex के निर्माण हेतु सीसीलोक कॉम्प्लेक्स में योजना प्रस्तावित है। जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति विभाग से प्राप्त है। योजना का क्रियान्वयन बुडको द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा वांछित कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र का अनुरोध किया गया है। मौर्यालोक में कार्य हित में Development of Multi Level Automatic Car Parking at Mauryalok Complex के निर्माण कार्य कराने हेतु पटना स्मार्ट सिटी लि० को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन संसूचित करने हेतु सशक्त स्थायी समिति से निर्णय अपेक्षित है :-

1. कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।
2. कार्य के दौरान यातायात में कोई रूकावट नहीं हो, सुनिश्चित करना होगा।
3. कार्य के दौरान परिसर में अन्य किसी संरचनाओं को तोड़ने के पूर्व नगर निगम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. स्थल का मालिकाना हक पटना नगर निगम का ही रहेगा।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव जनहित में है। इसे सशर्त स्वीकृति दिया जा सकता है।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जनहित में है। इसे सशर्त स्वीकृति दिया जा सकता है।

श्री मनोज कुमार :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पार्षद के विचारों से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

उप-महापौर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जनहित में इस प्रस्ताव को सशर्त स्वीकृति दिया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या-258 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Development of Multi Level Automatic Car Parking at mauryalok complex के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रस्ताव को निम्न शर्तों के साथ सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-**

1. कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।
2. कार्य के दौरान यातायात में कोई रूकावट नहीं हो, सुनिश्चित करना होगा।
3. कार्य के दौरान परिसर में आने वाली संरचनाओं को तोड़ने के पूर्व नगर निगम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. स्थल का मालिकाना हक पटना नगर निगम का ही रहेगा।

अ0म0(स0)-15 :- पटना नगर निगम द्वारा आमंत्रित निविदा में अधिकतम (03) तीन पुलों में भाग लेने की बाध्यता करने की स्वीकृति के संबंध में।

अध्यक्ष :- पटना नगर निगम द्वारा आमंत्रित निविदा में अधिकतम 03 पुलों में भाग लेने की बाध्यता से संबंधित प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- मुख्य नगर अभियंता, स्पष्ट करें।

मुख्य नगर अभियंता :- अध्यक्ष महोदय, पटना नगर निगम द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निविदा के माध्यम से एजेंसी का चयन किया जाता है। प्रायः यह संज्ञान में आता है कि एक निविदा आमंत्रण में एक ही निविदाकार द्वारा कई पुलों / कार्यों में भाग लिया जाता है जिसके कारण कभी-कभी एक ही एजेंसी को

महापौर
पटना नगर निगम

कई ग्रुपों में सफल घोषित करना पड़ता है। एक ही एजेंसी को कार्य आवंटित करने के उपरांत संबंधित एजेंसी द्वारा कार्य के क्रियान्वयन में काफी विलंब किया जाता है। जिसके कारण परियोजना समयबद्ध पूर्ण नहीं हो पाता है। अतः ऐसी परिस्थिति भविष्य में उत्पन्न नहीं हो, ग्रुपों में भाग लेने की बाध्यता तय की जा सकती है।

श्री आशीष कुमार सिन्हा - माननीया अध्यक्ष महोदया, पी.डब्लू.डी. कोड के अनुसार इसे देख लेना होगा कि लाया गया प्रस्ताव नियम संगत है अथवा नहीं , तबतक इसे स्थगित रखते हुए, प्रस्ताव अगली बैठक में रखा जाय।

श्री इन्द्रदीपक कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ, इस प्रस्ताव को अगली बैठक में रखा जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को अगली बैठक में रखा जाय।

प्रस्ताव संख्या-259 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम द्वारा आमंत्रित निविदा में अधिकतम (03) तीन ग्रुपों में भाग लेने की बाध्यता करने के प्रस्ताव को पी.डब्लू.डी. कोड नियम के अनुसार सशक्त स्थायी समिति की अगली बैठक में समीक्षा के साथ रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अ0म0सं0-16 :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित गोलम्बरों के जीर्णोद्धार के संबंध में।

अध्यक्ष :- गोलम्बरों के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम स्पष्ट करें।

मुख्य नगर अभियंता :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न चौक चौराहों पर गोलम्बरों का निर्माण किया गया है। इन गोलम्बरों के समुचित रख-रखाव नहीं होने के कारण कुछ एक गोलम्बरों का जीर्णोद्धार आवश्यक प्रतीत होता है, जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण के द्वारा निर्मित गोलम्बरों को नगर निगम को हस्तानांतरित किया गया है या नहीं। जो गोलम्बर निगम को हस्तानांतरित कर दिया गया है, उसका जीर्णोद्धार कराया जाय।

नगर आयुक्त :- वेंडर पार्क, मुन्ना चाहनी पार्क नगर निगम को हस्तानांतरित किया गया है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-260 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भवन निर्माण विभाग द्वारा पटना नगर निगम को हस्तानांतरित गोलम्बरों के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। गोलम्बरों के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण योजना पर होने वाली व्यय की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय।

अ0प्र0सं0-17 पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 75 वार्डों को 19 जोन (Zone) में विभक्त किया गया है। मानसून अवधि तक 15 जून 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक Quick Response Team(QRT) के कार्यों के सम्पादन हेतु जोनवार जोनल निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में।

आशय :-पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 75 वार्डों को 19 जोन में विभक्त किया गया है। उक्त जोन मॉनसून अवधि में 15 जून 24 से 15 अक्टूबर 24 तक QRT के कार्यों के सम्पादन हेतु जोनल निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव है।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के द्वारा पटना शहर में आसन्न मानसून के दौरान जल निकासी हेतु कई महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। पटना नगर निगम के कुछ वार्डों में जल-जमाव की समस्या अधिक जटिल होती है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 75 वार्डों को 19 जोन में विभक्त किया गया है। उक्त जोन में Quick Response Team (QRT) के कार्यों के सम्पादन हेतु जोनवार निम्न जोनल निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है:-

पटना नगर निगम / PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

क्र.	अंचल का नाम	जोनल इकाई	जोनल इकाईयों के अन्तर्गत वार्डों का नाम
	नूतन राजधानी अंचल	जोन:-1	03, 04, 09 एवं 10
		जोन:-2	11, 12, 13 एवं 14
		जोन:-3	15, 16, 17 एवं 18
		जोन:-4	19, 21, 28 एवं 37
2	पाटलीपुत्र अंचल	जोन:-5	01, 02, 05 एवं 06
		जोन:-6	07, 08, 20 एवं 22
		जोन:-7	22ए, 22बी, 22सी एवं 23
		जोन:-8	24, 25, 26 एवं 27
3	कंकड़बाग अंचल	जोन:-9	29, 30 एवं 31
		जोन:-10	32, 33, 34 एवं 35
		जोन:-11	44, 45, 46 एवं 51
4	बाँकीपुर अंचल	जोन:-12	36, 38, 39 एवं 40
		जोन:-13	41, 49, 50 एवं 51
		जोन:-14	42, 43, 47 एवं 48
5	पटना सिटी अंचल	जोन:-15	62, 66, 67 एवं 68
		जोन:-16	69, 70, 71 एवं 72
6	अजीमाबाद अंचल	जोन:-17	52, 53, 54 एवं 58
		जोन:-18	56, 57, 61 एवं 63
		जोन:-19	59, 60, 64 एवं 65

जोनल निरीक्षक पर्यवेक्षण क्रम में मुख्य सफाई निरीक्षक के मातहत कार्य करेंगे तथा जोन से संबंधित वार्डों के सफाई निरीक्षक के प्रत्यक्ष प्रभारी होंगे। प्रत्येक जोनल निरीक्षक अपने-अपने जोन के अन्तर्गत समस्त सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण, अवैध कब्जा, अवैध मीट, मछली व कुक्कुट व्यवसाय, परिवेशीय वायु की गुणवत्ता को

महापौर
पटना नगर निगम

उत्पादित करने वाले क्रियाकलापों, अवैध निर्माण व विधिसंगत जुर्माने की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

फलस्वरूप जोनल निरीक्षक निम्न महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करेंगे:-

1. जोन के अन्तर्गत सभी नालों की नियमित सफाई का अनुश्रवण व प्रबन्ध करेंगे।
2. मानसून के समय जोन क्षेत्र में जल जमाव की सूचना प्राप्त होने पर अधिकतम 15 मिनट के अन्दर Respond करना सुनिश्चित करेंगे।
3. अतिक्रमण, खतरा उन्मूलन, अवैध मीट मछली व कुक्कुट व्यवसायों के विरूद्ध अभियान, अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत विभिन्न शुल्कों व जुर्माने की कार्रवाई तथा प्रवर्तन संबंधी नियम के दायित्वों के निर्वहन करेंगे।
4. उक्त जोनल निरीक्षकों को QRT से संबंधित कार्य हेतु आवश्यकतानुसार संसाधन तथा मानवबल अंचल स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा।
5. उक्त जोनल निरीक्षकों को QRT से संबंधित कार्यों के लिए वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 75 वार्डों को 19 जोन में विभक्त किया गया है। उक्त जोन में मानसून अवधि तक 15 जून 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक Quick Response Team (QRT) के कार्यों के सम्पादन हेतु जोनवार जोनल निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति किये जाने पर विमर्श अपेक्षित है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, QRT टीम गठन मॉनसून अवधि के दौरान 15 जून 2024 से 15 अक्टूबर 24 तक अर्थात कुल 04 महीनों के लिए की गई है। इसकी स्वीकृति दी जा सकती है। इससे मानसून के दौरान जल-जमाव पर काबू पाने में लाभ होगा।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदय, यह निगम हित में है। इसे पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या-261 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 75 वार्डों को 19 जोन(Zone)में विभक्त किया गया है। उक्त जोन में मानसून अवधि तक 15 जून 2024 से अक्टूबर 2024 तक Quick Response Team(QRT) के कार्यों के सम्पादन हेतु जोनवार जोनल निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आ0प्र0सं0-18 :- पटना नगर निगम में 03 (तीन) वर्कशॉप बनाने के संबंध में।

अध्यक्ष :- पटना नगर निगम के वाहनों के रख-रखाव हेतु तीन वर्कशॉप बनाने का प्रस्ताव है।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य हेतु निगम स्वामित्व वाले विभिन्न प्रकार के वाहन कार्यरत हैं, जिसका परिचालन रख-रखाव एवं मरम्मति अंचल स्तर पर किया जा रहा था। वर्तमान कार्य प्रणाली में संशोधन करते हुए अंचल स्तर पर गठित वाहन कोषांग को अवक्रमित करते हुए वाहनों के रख-रखाव एवं मरम्मति का कार्य कार्यालय पत्रांक 7080, दिनांक 26.04.2024 के द्वारा मुख्यालय स्तर से किया जाना है। (सुलभ प्रसंग हेतु छायाप्रति संलग्न)

उल्लेखनीय है कि पटना नगर निगम के कुल 06 (छः) अंचलों में 02-02 अंचलों के लिए 01 (एक) स्थल का चयन भी किया गया है, जिसमें 01 (एक) वर्कशॉप एवं 03 (तीन) स्टोर के साथ संबद्ध किया गया, जहाँ कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त Store Kepper के लिए वर्कशॉप का निर्माण किया जाना है, जिसमें निम्न सामग्रियों का भंडारण किया जायेगा :-

Store 01 :- स्पेयर पार्ट्स, टूल्स एवं अन्य संबंधित उपकरण सहित Store Kepper के बैठने की व्यवस्था

Store 02 :- वाहनों के लिए सभी प्रकार के ऑयल (Oil) की व्यवस्था

Store 03 :- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्पेयर पार्ट्स इत्यादि

पटना नगर निगम के कुल 06 (छः) अंचलों में 02-02 अंचलों के लिए 03 (तीन) वर्कशॉप यथा बकरी बाजार (नूतन राजधानी अंचल तथा पाटलिपुत्र अंचल हेतु), [illegible] अंचल

महापौर
पटना नगर निगम

(कंकड़बाग अंचल तथा बाँकीपुर अंचल हेतु) तथा पटना सिटी अंचल तथा अजीमाबाद अंचल (पटना सिटी अंचल तथा अजीमाबाद अंचल हेतु) निर्धारित किया गया है। यह वर्कशॉप Waste To Workshop Theory (कबाड़ से वर्कशॉप का निर्माण) पर आधारित है, जिसमें से कंकड़बाग में शेड का निर्माण हो चुका है। जहाँ स्टोर रूम एवं ऑफिस बनाया जाना है। इसके अतिरिक्त शेष 02 (दो) अन्य जगहों पर वर्कशॉप, स्टोर एवं ऑफिस बनाया जाना है, जिसके निर्माण के लिए स्वीकृति अपेक्षित है।

श्री आशीष कु० सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव निगम एवं जनहित में है, इसे पारित किया जाए।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निगमहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाए।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निगमहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाए।

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निगमहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाए।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निगमहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाए।

उप-महापौर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निगमहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाए।

प्रस्ताव संख्या-262 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया पटना नगर निगम के कुल 06 (छः) अंचलों में 02-02 अंचलों के लिए 03 (तीन) वर्कशॉप बकरी बाजार (नूतन राजधानी अंचल एवं पाटलीपुत्र अंचल हेतु) कंकड़बाग अंचल (कंकड़बाग अंचल एवं बाँकीपुर अंचल हेतु) तथा अजीमाबाद वर्कशॉप (पटना सिटी अंचल तथा अजीमाबाद अंचल हेतु) के निर्माण के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

महापौर
पटना नगर निगम

यह कार्यशाला **Waste to workshop theory** पर आधारित होगी।

अधप्र०सं०-19 :- नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अधिसूचना ज्ञापांक-5509, दिनांक-26.09.2023 का अनुपालन के संबंध में।

नगर आयुक्त :- बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 के खंड (3) में निहित प्रावधान के आलोक में गैर आवासीय संपत्ति कर के निर्धारण के लिए वार्षिक किराया मूल्य के निर्धारण हेतु बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के नियम 4 में प्रावधान किया गया है। उक्त नियम के आलोक में गैर आवासीय संपत्ति कर के लिए उसके वार्षिक किराया मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित तालिका में दर्ज गुणकों के आधार पर किया जायेगा।

क्र.संख्या	गैर-आवासीय उपयोग का प्रकार	गुणक
i	होटल, बार, हैल्थ क्लब, विवाह हॉल	3
ii	दुकान (250 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले)	1
iii	दुकान (ii से अतिरिक्त), शो-रूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, औषधालय, प्रयोगशाला, रेस्तरां, अतिथिशाला	1.5
iv	व्यावसायिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कम्पनियों के कार्यालय, बैंक, निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम	3
v	उद्योग, कारखाना, वर्कशाप, भंडार गृह	2
vi	राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के ऐसे सभी प्रतिष्ठान और उपक्रम जो वाणिज्यिक, व्यावसायिक एवं वित्तीय गतिविधियों में संलग्न हैं।	2
vii	सभी प्रकार के कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग केन्द्र एवं इनके छात्रावास	1.5
viii	राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के कार्यालय जो वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न नहीं हैं।	1
ix	निजी विद्यालय, निजी महाविद्यालय, निजी शोध संस्थान, अन्य निजी शैक्षिक संस्थाएँ एवं उनके छात्रावास	1.5
x	सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रवृत्ति के भवन, मेला एवं प्रदर्शनी	3
xi	जिस व्यावसायिक भाग से उत्पन्न गतिविधियाँ तथा कार्यों से उत्पन्न हुई जानकारी व जन-रुचि के आधार पर संचालित शैक्षणिक एवं सामाजिक प्रयोजन।	1
xii	(i) से (xi) तक में शामिल नहीं किए गये कोई अन्य भूमि	गुणक 1.5 होगा

उक्त तालिका के क्रमांक (viii) में उल्लेखित केन्द्र एवं राज्य सरकार के ऐसे कार्यालय और प्रतिष्ठान जो गैर-आवासीय प्रवृत्ति के हों, उन्हें होल्डिंग टैक्स से छूट होगी, परन्तु उनसे सेवा शुल्क लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के नियम (4) के परन्तुक के प्रावधान के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 2726 दिनांक 11.11.2013 निर्गत है तथा यह निर्गत की तिथि से ही प्रभावी है। उक्त अधिसूचना द्वारा सेवा शुल्क होल्डिंग के लिये निर्धारित कर का 75 प्रतिशत निर्धारित है। यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फिलहाल इस प्रस्ताव को स्थगित रखा जाय क्योंकि अभी हम कचरा शुल्क के रूप में कई वर्षों से जनता को सभी से वसूली कर रहे हैं।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूँ, इसे पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ, इस प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित रखा जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदय, तत्काल इस प्रस्ताव को स्थगित रखा जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदय, तत्काल इस प्रस्ताव को स्थगित रखा जाय।

उप-महापौर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के सुख सुविधा का ध्यान रखना हम लोगों का दायित्व है। पुनः सम्पत्ति कर में वृद्धि करना उचित प्रतीत नहीं होता है। तत्काल इस प्रस्ताव को स्थगित रखा जाय।

प्रस्ताव संख्या-263 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के अधिसूचना क्रमांक-3309, दिनांक-26.09.2023 का अनुपालन के प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित रखने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

आ०सं०-20 : **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक वार्ड में एक अदद Selfie Point के अधिष्ठापन की स्वीकृति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- प्रत्येक वार्ड में एक अदद Selfie Point के अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- वर्ष 2023 में कार्तिक छठ महापर्व के अवसर पर विभिन्न घाटों में Selfie Point लगाया गया था, जिसकी नागरिकों के द्वारा सराहना की गयी है। इसी क्रम में प्रत्येक वार्ड में मॉडल प्राक्कलन के अनुरूप एक अदद Selfie Point के अधिष्ठापन की स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा सुझाव है कि जिस कचरा प्वाइंट से कचरा हटा कर दिया गया है उस जगह पर Selfie Point का अधिष्ठापन किया जाए।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव निगमहित एवं जनहित में है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाए।

प्रस्ताव संख्या-264 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक वार्ड में एक अदद Selfie Point के अधिष्ठापन की स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

अ0म0सं0-21 :- वार्ड संख्या-67 के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या-142, दिनांक-12.09.2023 द्वारा पारित योजना के क्रमांक-2 को रद्द करते हुए उसके स्थान 07 योजनाओं को क्रियान्वयन करने के संबंध में सूची संलग्न।

अध्यक्ष :- इस मद का संलेख अप्राप्त है।

अ0म0सं0-22 :- वार्ड संख्या-30 के अन्तर्गत आदर्श विहार रोड संख्या-02 निकट ज्योतिष पथ में नाला एवं सड़क निर्माण के संबंध में।

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, इसे अगली बैठक में रखा जाए।

अ0म0सं0-23 :- वार्ड संख्या-30 के अन्तर्गत रामकृष्णा नगर बैंक ऑफ इंडिया के पास बुद्धिजीवी कॉलनी में जलापूर्ति पम्प(हाईड्रोलिक बोरिंग) लगाने के संबंध में।

अध्यक्ष :- :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, इसे अगली बैठक में रखा जाए।

अ0म0सं0-24 :- वार्ड संख्या-30 के अन्तर्गत न्यू बिसहपुर जो अनिल यादव के घर से अवधेश कुमार सिंह के घर तक जर्जर सड़क एवं मेनहोल निर्माण के संबंध में।

:- इस आशय का संलेख अप्राप्त है, इसे अगली बैठक में रखा जाए।

महापौर
पटना नगर निगम

अ०प०सं०-25 :- वार्ड संख्या-11 के अन्तर्गत 03 सड़कों का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- :- इस आशय का संक्षेप अप्राप्त है, इसे अगली बैठक में रखा जाय।

अ०प०सं०-26 :- वार्ड संख्या-53 के अन्तर्गत लोहा रोड पथ को स्व0 धनंजय मेहता के नाम से नामकरण के संबंध में

अध्यक्ष :- :- इस आशय का संक्षेप अप्राप्त है, इसे अगली बैठक में रखा जाय।

अ०प०सं०-27 :- वार्ड संख्या-35 के अन्तर्गत चौधरी पेट्रोल पम्प से लेकर रेलवे कार्यालय तक पथ का आशा देवी पथ के नाम से नामकरण के संबंध में

अध्यक्ष :- इस आशय का संक्षेप अप्राप्त है, इसे अगली बैठक में रखा जाय।

अ०प०सं०-28 :- वार्ड संख्या-42 अन्तर्गत उच्च प्रवाह बोरिंग के स्थल को बदलने के संबंध में।

अध्यक्ष :- इस आशय का संक्षेप अप्राप्त है, इसे अगली बैठक में रखा जाय।

अ०प०सं०-29 :- सम्पत्ति कर एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क संबंधित आवेदनों का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निष्पादन के संबंध में।

अध्यक्ष :- सम्पत्ति कर एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क संबंधित आवेदनों का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निष्पादन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क में संशोधन हेतु करदाताओं से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। उन आवेदनों के निष्पादन हेतु कर-दाताओं के द्वारा अंचल एवं मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है जिससे आम कर-दाता परेशान है। इस समस्या के समाधान हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखा गया है।

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्री आशीष कु० सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के तहत कचरा शुल्क निर्धारण के संबंध में आमजनों की शिकायतों से संबंधित जो भी आवेदन है उसका यथाशीघ्र निष्पादन कराया जाय। प्रस्ताव जनहित में है। इसे पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-265 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्पत्ति कर एवं ठोस अवशिष्ट प्रबंधन शुल्क संबंधित आवेदनों का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निष्पादन करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

म०प्र०सं०-30 :- उत्परिवर्तन /नामांतरण की मानक प्रक्रिया में संशोधन हेतु निर्णय के संबंध में।

अध्यक्ष :- उत्परिवर्तन /नामांतरण की मानक प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्र में सम्पत्ति का नामान्तरण/उत्परिवर्तन की मानक प्रक्रिया की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसे ऑन लाईन म्यूटेशन पोर्टल विकसित कर पोर्टल के माध्यम से म्यूटेशन की प्रक्रिया को किया जा रहा है। उत्परिवर्तन /नामांतरण की मानक प्रक्रिया में संशोधन पर निर्णय हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित किया गया है।

श्री आशीष कु० सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, उत्परिवर्तन /नामांतरण की मानक प्रक्रिया में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्तमान में उत्परिवर्तन /नामांतरण रजिस्ट्री कराकर पर किया जा रहा है। पूर्व में 1000/-(एक हजार) रुपये के स्टाम्प पर आवेदक द्वारा शपथ पत्र दिया जाता था जो कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा निर्गत होता था, के आधार पर नामांतरण/उत्परिवर्तन हेतु जो पोर्टल विकसित किया गया है, उसमें इस व्यवस्था का सम्मिलित नहीं किया गया है जिसके

महापौर
पटना नगर निगम

कारण आवेदकों को परेशानी हो रही है तथा निगम को भी राजस्व का घाटा हो रहा है।

अतः मेरा सुझाव है कि नामांतरण /दाखिल-खारिज करने हेतु निबंधित डीड में आवेदक द्वारा 1000(एक हजार) रू0 स्टाम्प पर कार्यपालक दण्डाधिकारी के यहाँ से निर्गत शपथ पत्र को भी शामिल किया जाय। इससे आवेदकों को सुविधा होगी।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। दाखिल-खारिज / नामांतरण हेतु ऑनलाइन म्यूटेशन पोर्टल में आवेदक द्वारा 1000/-(एक हजार) रू0 के स्टाम्प पर कार्यपालक दण्डाधिकारी / नोटरी पब्लिक के यहाँ से निर्गत शपथ पत्र को भी शामिल किया जाय। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। प्रस्ताव जनहित एवं निगमहित में है। इसे पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। प्रस्ताव जनहित एवं निगमहित में है। इसे पारित किया जाय।

उप-महापौर :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह अच्छा प्रस्ताव है। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-266:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दाखिल-खारिज /नामांतरण की वर्तमान मानक प्रक्रिया में संशोधन करते हुए आवेदक द्वारा 1000/-(एक हजार) रू0 के स्टाम्प पर कार्यपालक दण्डाधिकारी / नोटरी पब्लिक के यहाँ से निर्गत शपथ पत्र को भी शामिल करते हुए दाखिल-खारिज /नामांतरण करने की स्वीकृति देने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अ0म0सं0-31 :- 15वें वित्त आयोग के परिवेशीय वायु गुणवत्ता घटक अन्तर्गत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु प्राप्त राशि में से पटना नगर निगम अन्तर्गत सभी प्रमंडलों को जीर्णोद्धार योजना हेतु आवंटित राशि में से व्ययोपरान्त शेष राशि का उपयोग Mechanical Road sweeping एवं crematorium के operation &

महापौर
पटना नगर निगम

Maintenance कार्य में किये जाने के संबंध में। साथ ही Transport Department को आवंटित राशि में व्ययोपरान्त पटना नगर निगम को वापस की गई राशि का उपयोग IEC कार्य में किये जाने के संबंध में।

अध्यक्ष :- नगर आयुक्त, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- 15वें वित्त आयोग के परिवेशीय वायु गुणवत्ता मद अन्तर्गत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु पटना नगर निगम को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 204 करोड़ रूपया आवंटित किया गया था, जिसमें से 35.19 करोड़ रूपया पटना नगर निगम अन्तर्गत सभी अंचलों को जीर्णोद्धार कार्य हेतु आवंटित किया गया था। 2 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अंचलों में 24 करोड़ रूपया शेष बचे हुए है। साथ ही 2020-21 में प्राप्त आवंटन की राशि 84.60 करोड़ रू0 में से परिवहन विभाग को 13.75 करोड़ रू0 हस्तानान्तरित किया गया था, जिसमें व्ययोपरान्त शेष राशि 0.67 करोड़ रू0 परिवहन विभाग द्वारा पटना नगर निगम को वापस कर दिया गया है।

वर्तमान आवश्यकतानुसार अंचलों के पास शेष राशि 24 करोड़ रू0 में से 23 करोड़ रू0 Mechanical Road sweeping कार्य एवं एक करोड़ रू0 crematorium के operation & Maintenance कार्य में तथा परिवहन विभाग द्वारा वापस किये गये 0.67 करोड़ रू0 को IEC कार्य में व्यय किये जाने हेतु सशक्त स्थायी समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है। इस हेतु निर्णय अपेक्षित है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न अंचलों में जीर्णोद्धार योजना हेतु जो राशि आवंटित की गयी, उसका अद्यतन प्रतिवेदन मंगाया जाय। जीर्णोद्धार योजना को पूरा करना भी अनिवार्य है।

मुख्य नगर अभियंता :- माननीय अध्यक्ष महोदय विभिन्न अंचलों में शेष बचे जीर्णोद्धार की योजनाओं को पूर्ण करने के लिए पाँच करोड़ की राशि का आकलन किया गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जीर्णोद्धार की योजनाओं को पूर्ण करने के लिए पाँच करोड़ की राशि सुरक्षित रखते हुए शेष राशि में 18 करोड़ की राशि Mechanical Road sweeping कार्य एवं एक करोड़ रू0 crematorium के operation & Maintenance कार्य में व्यय करने की स्वीकृति दी जा सकती है। परिवहन विभाग द्वारा भी 0.67 करोड़ रू0 निगम को वापस किया गया है। इस राशि को IEC कार्य में व्यय करने की अनुमति दी जा सकती है।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उप-महापौर :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-267 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 15वें वित्त आयोग के परिवर्तनीय वायु गुणवत्ता घटक अन्तर्गत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु प्राप्त राशि में से पटना नगर निगम अन्तर्गत सभी प्रमंडलों को वार्ड सभा द्वारा चयनित जीर्ण-शीर्ण योजना हेतु आवंटित राशि में से बचे हुए शेष 24 करोड़ की राशि का प्रतिस्थापन निम्न रूप से किया जाता है :-

(क) 1. सभी प्रमंडलों में वार्ड सभा द्वारा चयनित शेष बचे जीर्णशीर्ण योजनाओं को पूर्ण करने के लिए 05 करोड़ राशि

2. Mechanical Road sweeping के लिए 18 करोड़ रू0

3. crematorium operation & Maintenance कार्य के लिए 01 करोड़ रूपये

(ख) Transport Department को आवंटित राशि में अवशेष पटना नगर निगम को वापस की गई 0.67 करोड़ रूपये का उपयोग IEC कार्य में किये जाने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम बोर्ड को अनुशंसित किया जाता है।

आइटम नं0-32 :- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत डीजल चालित वाहनों को **CNG** में परिवर्तित करने हेतु स्वीकृत राशि 10 करोड़ रू0 का उपयोग **IGIMS** अन्तर्गत **Flyover** के नीचे एवं अन्य जगहों पर **Plantation** कार्य में किये जाने के संबंध में।

अध्यक्ष :- **IGIMS** अन्तर्गत **Flyover** के नीचे Plantation कार्य किये जाने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत डीजल चालित वाहनों को CNG में परिवर्तित करने हेतु स्वीकृत राशि 10 करोड़ रू0 का उपयोग IGIMS अन्तर्गत Flyover के नीचे, बापू टावर, गर्दनीबाग, रोड संख्या-15 एवं अन्य जगहों पर Plantation कार्य करने का प्रस्ताव है। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

पटना नगर निगम

महापौर
पटना नगर निगम

श्री आशीष कु० सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदया, अभी जिस तरह से शहर के तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। उसके लिए जरूरी है कि शहर में बड़े पैमाने पर हरित पट्टी विकसित किया जाय। पटना नगर निगम के सभी वार्डों के खुले स्थानों पर पौधा रोपण का कार्य किया जाय। ये कार्य माननीय पार्षदों की देख-रेख में किया जाय। इस कार्य हेतु वार्डवार एक-एक लाख रुपया आवंटित किया जाय। 10 करोड़ रुपये की राशि में से एक करोड़ रुपये निगम के स्तर से पौधा रोपण किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदया, इसी तरह अन्य पुलों के नीचे भी Plantation का कार्य किया जाना चाहिए। जिससे अतिक्रमण की समस्या भी दूर होगी। निगम के स्तर से भी माननीय पार्षदों की अनुशंसा पर वार्ड में पौधा रोपण का कार्य किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय पार्षद के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय पार्षद के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-268 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत डीजल चालित वाहनों को CNG में परिवर्तित करने हेतु स्वीकृत राशि 10 करोड़ रु० में से (क) 09 करोड़ रुपये का का उपयोग नेहरू पथ स्थित **Flyover** के नीचे एवं अन्य जगहों पर **Plantation** तथा (ख) निगम के स्तर से एक करोड़ रु० का उपयोग सभी वार्डों में पौधा-रोपण कार्य हेतु किये जाने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

अ०स०सं०-33 :- निगम स्वामित्व वाले अन्तर्गत **Dumper Placer** को **Fabricate** करते हुए **Pink Toilet** में परिवर्तित करने के संबंध में।

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- Dumper Placer को Fabricate करते हुए Pink Toilet में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के तहत निगम स्वामित्व वाले विभिन्न प्रकार के वाहन कार्यरत है। उल्लेखनीय है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के अन्तर्गत निगम स्वामित्व वाले निम्नलिखित अकार्यरत Dumper Placer को Fabricate करते हुए Pink Toilet में परिवर्तित किया जा सकता है :-

क्र0	Dumper Placer का Chasis No.	वर्तमान में उपलब्ध Dumper Placer	किस अंचल/प्रमंडल तक पर Fabricate किया जा सकता है।
1	MAT 506206HB613456	बाँकीपुर अंचल	बाँकीपुर अंचल
2	MAT 506206GB927034		पटना सिटी अंचल
3	MAT 506206BBF10626	कंकड़बाग अंचल	अजीमाबाद अंचल
4	MAT 506206HBC05182		कंकड़बाग अंचल
5	002559612509	पाटलिपुत्र अंचल	नूतन राजधानी अंचल

उल्लेखनीय है कि पटना नगर निगम द्वारा कलक्ट्रेट के प्रांगण के तहत कार्यालय में एक Pink Toilet निर्मित किया गया है, जिससे कार्यों के प्रबंधन के साथ ही निगम को कम में अधिक आर्थिक लाभ की बचत हुई है।

विदित हो कि निगम क्षेत्र में कचरा का संग्रहण डोर टू डोर किया जा रहा है साथ ही पटना नगर निगम बीन फ्री सिटी घोषित है, जिसके कारण किसी भी स्थल पर Bin अनिवार्य नहीं है, इसलिए Dumper Placer अनुपयोगी है, उक्त वाहन में निम्नलिखित/स्थानीय उपयुक्त प्रकार के द्वारा अंचल/प्रमंडल पर राशि Invest कर Fabricate करते हुए Pink Toilet में परिवर्तित किया जा सकता है। एक वाहन की प्राक्कलित राशि 13,95,210.50/-(तेरह लाख पंचानबे हजार दो सौ दस) आती है तथा इसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम के द्वारा प्राप्त की गयी है।

अतः निगम स्वामित्व वाले अकार्यरत Dumper Placer को Fabricate करते हुए Pink Toilet में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को विमर्श/स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्री आशीष कु० सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, Dumper Placer को Fabricate करते हुए Pink Toilet में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। माननीय महापौर महोदया ने भी पटना के नागरिकों के Pink Toilet का निर्माण करने का वादा किया है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, Dumper Placer को Fabricate करते हुए Pink Toilet में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है, अच्छा है। इसे पारित किया जाय।

श्रीमती कांति देवी : माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कोयली सिंह : माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-269 :- <u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निगम स्वामित्व वाले अकार्यरत **Dumper Placer को Fabricate** करते हुए **Pink Toilet** में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।</u>

क्र०	Dumper Placer का Chasis No.	वर्तमान में उपलब्ध Dumper Placer	किस अंचल/प्रमंडल स्तर पर Fabricate किया जा सकता है।
1	MAT 506206H8613456	बाँकीपुर अंचल	बाँकीपुर अंचल
2	MAT 506206GBN27034		पटना सिटी अंचल
3	MAT 506206HBF10626	कंकड़बाग अंचल	अजीमाबाद अंचल
4	MAT 506206H8C05182		कंकड़बाग अंचल
5	U02559612589	पाटलिपुत्र अंचल	नूतन राजधानी अंचल

<u>**Dumper Placer** को **Fabricate** करते हुए एक **Pink Toilet** में परिवर्तित करने पर 13,95,210.50 रुपये व्यय होने की संभावना है।</u>

कार्यसूची-34 :- निगम स्वामित्व वाले अकार्यरत डीजल चालित **Close Tipper को Fabricate** करते हुए 1200 लीटर क्षमता वाला वाटर प्याऊ में परिवर्तित करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- Close Tipper को Fabricate कर वाटर प्याऊ में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है, चर्चा करें।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के तहत निगम स्वामित्व वाले विभिन्न प्रकार के वाहन कार्यरत हैं। उल्लेखनीय है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के अन्तर्गत निगम स्वामित्व वाले निम्नलिखित अकार्यरत डीजल चालित Close Tipper को Fabricate करते हुए 1200 लीटर क्षमता वाला वाटर प्याऊ में परिवर्तित किया जा सकता है :-

क्र0	Close Tipper वाहन संख्या	वर्तमान में उपलब्ध Close Tipper	किस अंचल/प्रमंडल शाखा पर Fabricate किया जा सकता है।
1	BR01GJ-1513	पटना सिटी अंचल	जलापूर्ति शाखा
2	BR01GJ-1598		
3	BR01GJ-1756		
4	BR01GJ-1773		
5	BR01GJ-1691	पाटलीपुत्र अंचल	
6	BR01GJ-1563		
7	BR01GJ-1622		
8	BR01GJ-1607		
9	BR01GJ-1555		
10	BR01GJ-1676		

उल्लेखनीय है कि पटना नगर निगम द्वारा कबाड़ से कमाल के तहत वर्तमान में 13 वाटर प्याऊ निर्मित किया गया है, जिससे कार्यों के प्रबंधन के साथ ही निगम को आय में अधिक आर्थिक लाभ की प्राप्ति हुई है।

विदित हो कि निगम क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र में कचरा का संग्रहण डोर टू डोर किया जा रहा है। इस हेतु पूर्व में कुल 375(तीन सौ पचहत्तर) डीजल चालित Close Tipper उपलब्ध तथा वर्तमान में 150 (एक सौ पचास) CNG Close Tipper का क्रय किया गया है, जो अकार्यरत डीजल चालित Close Tipper के स्थान पर परिचालित हो रहे हैं। अकार्यरत डीजल चालित Close Tipper का परिचालन नहीं है, इसलिए यह अनुपयोगी है, उक्त वाहन में विभागीय/स्थानीय प्रचार-प्रसार के द्वारा अंचल/प्रमंडल पर बिना Invest का Fabricate करते हुए 1200 लीटर क्षमता वाला वाटर प्याऊ में परिवर्तित किया जा सकता है। जिसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदया, जो Close Tipper अकार्यरत है उसे Fabricate करते हुए वाटर टैंकर बनाने का प्रस्ताव सराहनीय है एवं

आवश्यक है। पर्व त्योहार, शादी विवाह एवं अन्य अवसरों पर वाटर टैंकर की माँग होती है। और इस वाटर टैंकर से उनकी माँग को पूरा किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-270 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निगम स्वामित्व वाले अनुपयोगी डीजल चालित Close Tipper को Fabricate करते हुए 1200 लीटर क्षमता वाला वाटर टैंकर में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी सूची निम्नवत् है :-

क्र0	Close Tipper वाहन संख्या	वर्तमान में उपलब्ध Close Tipper	किस अंचल/प्रमंडल स्तर पर Fabricate किया जा सकता है।
1	BR01GJ-1511	पटना सिटी अंचल	कार्यशाला शाखा
2	BR01GJ-1588		
3	BR01GJ-1756		
4	BR01GJ-1773		
5	BR01GJ-1691	पाटलीपुत्र अंचल	
6	BR01GJ-1563		
7	BR01GJ-1623		
8	BR01GJ-1607		
9	BR01GJ-1555		
10	BR01GJ-1676		

अ0म0सं0-35 :- पटना नगर निगम क्षेत्र में वार्डों को **Open Manhole free (OMF)** करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- Open Manhole free करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्र में सभी मैनहोल की अद्यतन स्थिति की जाँच करने हेतु निगम के पत्रांक-9187, दिनांक-25.05.2024 के आलोक में अंचल पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया था, जिसके आलोक में सभी अंचल ने अपने-अपने वार्ड का भौतिक निरीक्षण करते हुए क्षतिग्रस्त मैनहोल्स को चिन्हित कर जियो-टैग फोटोग्राफ के साथ सूची समर्पित किया, जिसे

महापौर
पटना नगर निगम

संबंधित माननीय वार्ड पार्षद के द्वारा भी सत्यापित करा लिया गया है। तदनुसार सभी वार्ड नोडल पदाधिकारियों से प्राप्त सर्वे प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित प्रमंडल के अभियंताओं के द्वारा प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि के साथ वार्डवार विवरणी निम्न है :-

Patna Nagar Nigam

Open Manhole Survey Report 2024

Patliputra		Nutan Rajdhani		Kankarbagh		Bankipur		Azimabad		Patna City	
Ward No	Estimate Amount	Ward No	Estimate Amount	Ward No	Estimate Amount	Ward No	Estimate Amount	Ward No	Estimate Amount	Ward No	Estimate Amount
1	14,09,880	6	4,78,232	29	5,53,443	36	11,71,167	52	3,40,221	61	5,51,889
2	7,80,429		11,18,029		22,15,393	38	6,41,900	53	80,041	65	6,25,673
3	5,00,888	8	4,64,208	30	11,75,185	39	6,30,000	54	12,26,129	67	4,52,591
4	8,05,678	9	2,76,808		8,73,617	40	6,85,844	55	6,16,701	68	6,33,533
7	10,04,070	10	10,25,458		14,52,854	41	9,45,800	57	6,02,520	69	84,288
8	7,04,424	11	5,75,590	31	14,46,182	42	11,90,858	58	5,90,198	70	5,22,478
20	6,09,022	14	3,61,870		13,89,978	43	10,76,037	59	5,56,419	71	5,75,781
22	8,96,078	13	2,56,320		13,87,113		1,36,002	60	5,05,177	72	3,30,828
11A	6,97,953	12	2,38,310	32	14,56,669	47	14,37,882	61	6,95,898		
11B	7,86,961	15	3,02,800		8,83,171		8,83,450	62			
11C	8,57,590	16	4,16,800	33	12,11,080	48	14,83,418	63	3,40,775		
12	3,02,277	17	4,74,840	34	16,21,180	49	1,41,180	64	1,71,638		
14	3,55,581	18	4,19,000	35	13,51,230	50	4,53,480				
15	3,70,677	19	4,71,000	44	3,31,790	51	14,49,310				
16	7,61,594	20	3,06,508		11,75,400						
21	3,96,771	28	3,06,458		14,60,400						
		30	5,24,563	45	3,68,400						
					12,52,590						
					16,66,790						
				46	8,31,916						
					9,88,590						
				21	14,31,790						

जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री विनोद कुमार :- अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी संख्या में मेनहोल, ढक्कन कैसे खोला।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक वार्ड में भिन्न-भिन्न स्थानों पर मेनहोल स्लैब अतिआवश्यक है उन्हीं स्थानों पर स्लैब एवं ढक्कन का निर्माण कराया जाएगा।

श्री मनोज कुमार :- अध्यक्ष महोदय, पटना सिटी अंचल क्षेत्र में मेनहोल की संख्या अधिक नहीं है लेकिन वहाँ स्लैब लगाने की संख्या काफी है। यह प्रस्ताव निगम हित में है इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-271:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम में वार्डों के **Open Manhole free (OMF)** करने हेतु सभी वार्ड के नोडल पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षणोपरान्त तैयार अतिआवश्यक मेनहोल की सूची माननीय वार्ड पार्षदों द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त संबंधित प्रमंडल के अभियंताओं द्वारा वार्डवार तैयार प्राक्कलन जो निम्नवत है :-

Patna Nagar Nigam

Open Manhole Survey Report 2024

Patliputra		NootanRajdhani		Kankarbagh		Bankipur		Azimabad		PatnaCity	
Ward No	Estimate Amount	Ward No	Estimate Amount	Ward No	Estimate Amount	Ward No	Estimate Amount	Ward No	Estimate Amount	Ward No	Estimate Amount
1	14,59,064	3	4,78,064	29	5,50,620	37	13,71,647	51	5,40,323	63	5,93,249
2	7,84,230		15,18,250		12,03,863	38	5,11,090	52	90,581	67	6,29,679
3	5,20,068	4	4,91,209	30	11,90,208	39	6,01,490	54	12,26,127	57	4,52,580
6	8,80,463	5	2,75,800		8,79,837	40	6,03,962	55	9,56,791	58	6,23,509
7	10,84,050	10	10,03,459		14,33,998	41	5,41,090	57	4,14,822	69	94,380
8	7,66,676	11	6,23,358	31	12,16,182	42	11,99,850	58	5,86,128	70	6,23,478
10	6,24,600	12	5,61,900		11,88,692	43	10,79,657	59	3,99,419	71	6,75,781
12	3,60,274	13	7,58,100		13,83,179		3,09,803	53	2,85,207	72	2,93,808
21A	8,87,463	14	3,56,400	32	11,66,180	45	10,37,147	61	4,88,416		
21B	7,86,793	15	2,07,900		8,83,471		8,65,411	64	-		
21C	3,07,108	16	4,18,500	33	11,05,939	16	15,80,418	66	5,80,718		
20	7,64,471	17	4,74,000	34	10,61,139	46	1,30,150	65	5,75,138		
24	3,55,510	18	4,14,000	35	11,55,139	18	9,14,600				
25	3,72,077	19	4,77,000	40	5,25,730	22	14,40,090				
26	7,02,269	22	5,44,000		11,73,408						
27	3,05,775	28	3,85,400	48	14,12,480						
		37	9,14,045		3,48,800						
					12,32,260						
					14,54,790						
				44	8,27,816						
					9,94,869						
				39	10,20,791						

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

अ०प्र०सं०-36 :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत रोबोटिक्स पद्धति से मैनहोल की सफाई एवं उसके संचालन एवं रख-रखाव के संबंध में।

अध्यक्ष :- रोबोटिक्स पद्धति से मैनहोल की सफाई एवं उसके संचालन एवं रख-रखाव का प्रस्ताव है, नगर आयुक्त।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी मैनहोलों की साफ-सफाई मॉनसून के पूर्व एवं आवश्यकतानुसार समय-समय पर की जाती है। इन मैनहोलों की साफ-सफाई में कुछ जटिलताओं का सामना करना पड़ता है. इन जटिलताओं को कम करने एवं मैनहोलों की सफाई को सरल बनाने हेतु तकनीक का उपयोग किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। इसी संदर्भ में मैनहोल की सफाई हेतु Advanced Manhole Clearing Robot, Bandicoot Mobility+, Integrated With Vehicle का उपयोग किया जा सकता है, इसमें Advanced Manhole Cleaning Robot में Bandicoot V2.0, Light Motor Vehicle (BS VI), Hydraulic Powered Robot Handling System एवं Inbuild Waste Dumper, Online Software With Work Monitoring, Asset Management, People Management, Report Generation and Data Collection including Operation Time, Waste Type and Quantiy, GPS Tracking एवं One Year Warranty शामिल है। अतएव 02 अदद Advanced Manhole Cleaning Robot, Bandicoot Mobility+, Integrated With Vehicle क्रय करने की स्वीकृति जिसकी कुल राशि– 2,09,10,030.00 (GST सहित) एवं उसके तीन वर्षों संचालन एवं रख-रखाव कार्य हेतु कुल राशि–1,87,47,840.00 (GST सहित) व्यय करने की स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति से निर्णय अपेक्षित है।

श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैनहोलों की सफाई एवं उसके संचालन के लिए रोबोट का क्रय करना होगा। निगम में एक रोबोट आया था उसका क्या परिणाम निकला या कितना कारगर साबित हुआ उसके बारे में जानना जरूरी है।

नगर आयुक्त :- पुराने रोबोट को भी मरम्मति कर चालू किया जाएगा।

श्री इन्द्रदीप कुमार सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुराने रोबोट से पाटलिपुत्र अंचल एवं नूतन राजधानी अंचल क्षेत्र में मैनहोल की सफाई हुई थी। जिसे स्वच्छतीगी

के कर्मियों द्वारा उपयोग किया जा रहा था। यह निम्नांकित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-272 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत रोबोटिक्स पद्धति से मैनहोल की सफाई एवं उसके संचालन एवं रख-रखाव हेतु 2 Advanced Manhole cleaning Robot, Bandicoot Mobility+, Integrated With Vehicle क्रय करने की स्वीकृति जिसकी कुल राशि 2,09,10,000.00(जीएसटी० सहित) एवं उसके 03 वर्षीय संचालन एवं रख-रखाव कार्य हेतु कुल राशि 1,87,47,840.00 (जीएसटी० सहित) रुपये मात्र है के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

अ०म०सं०-37 :- रामाचक बैरिया में **Legacy Fresh Waste** की अवशेष मात्रा का **Bio-Mining** करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- रामाचक बैरिया में Legacy Fresh Waste की अवशेष मात्रा का Bio-Mining का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- रामाचक बैरिया डम्पिंग यार्ड में पटना नगर निगम के अलावे खगौल, दानापुर, फुलवारी एवं फतुहा ULB का भी कचरा डम्प किया जाता है। पूर्व में डम्प Legacy Waste (लगभग 10 लाख मी०) के Bio-Mining हेतु तीन एजेंसियों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 25% कचरा का निस्तारण बाकी है। तीन एजेंसियाँ यथा 1. मे० सी.डी. इन्फ्राटेक 2. मे० Pathya एवं 3. मे० NACOF Legacy Waste के Bio-Mining कार्य में संलग्न हैं। इस कार्य के अलावे रामाचक बैरिया में ही अन्यत्र जगह पर Fresh Waste का संग्रहण किया जा रहा है। इस डम्पिंग यार्ड में Legacy/Fresh Waste की कचरे के अवशेष मात्रा का Bio-Mining के लिए मे० इकोलेक्ट्रान इन्फ्रा प्रा०लि० के साथ भी एकरारनामा किया गया है। रामाचक बैरिया यार्ड में तत्काल अन्यत्र स्थल पर कचरा संग्रहण हेतु व्यवस्था बनाई जा रही है। तदनुसार सम्बंधित Legacy/Fresh Waste की मात्रा नापी कराकर मे० इक्र, नई एजेंसी से मूल्यांकित कर एजेंसी/एजेंसियों को Bio-Mining का निदेश देने हेतु सशक्त स्थायी समिति से निर्णय अपेक्षित है।

श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, रामाचक बैरिया में कचरे का अम्बार लगा हुआ है एवं आस-पास के ग्रामीणों को गंदगी/ दुर्गंध

महापौर
पटना नगर निगम

का सामना करना पड़ रहा है। बॉयोमाइनिंग हो जाने पर दुर्गंध की समस्या दूर होगी। यह जनहित का विषय है। इसे पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है। इसे पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-273 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रामाचक बैरिया में Legacy Fresh Waste की अवशेष मात्रा का Bio-Mining करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

अ०म०सं०-38 :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मुख्य चौराहों एवं स्थानों पर 12.5 मीटर का हाई मास्ट लाइट अधिष्ठापन के संबंध में।

अध्यक्ष :- हाई मास्ट लाइट अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मुख्य चौराहों एवं मार्गों तथा गोलम्बर पर लाईट की व्यवस्था नहीं होने के कारण अंधेरा रहता है और आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी होती है। निगम क्षेत्र में 50 हाई मास्ट लाइट लगाने का प्रस्ताव था, जिसमें 30 स्थानों पर हाई मास्ट लाइट लगाने का कार्य पूरा हो गया है। 20 अदद हाई मास्ट लाइट लगाने हेतु चौराहों एवं गोलम्बर को चिन्हित किया जा रहा है। जिससे प्रकाश की उचित व्यवस्था की जा सकेगी। उक्त कार्य का प्राक्कलन मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि 51,43,732.00 (इक्यावन लाख तैंतालीस हजार सात सौ बत्तीस रू०) मात्र है जो प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीय अध्यक्ष महोदया, किस-किस स्थानों पर लगाने जा रहे हैं, उसकी सूची उपलब्ध नहीं है। सूची के साथ अगली बैठक में रखा जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीया सदस्या के प्रस्ताव से सहमत हूँ, इस प्रस्ताव को अगली बैठक में रखा जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या-274 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मुख्य चौराहों एवं स्थानों पर 12.5 मीटर का 20 हाई मास्ट लाइट का अधिष्ठापन करने हेतु सूची अनुपलब्धता के कारण इस प्रस्ताव को स्थगित किया जाता है। सूची के साथ इस प्रस्ताव को अगली बैठक में उपस्थापित किया जाय।

अ०प्र०सं०-39 :- पटना शहर में भविष्य में होने वाले भूकम्प की बेहतर तैयारी हेतु शहर के माइक्रोजोनेशन हेतु IIT पटना को कुल 75 स्थानों पर **Multi Channel Analysis of Surface Wave (MASW) Test** की अनुमति देने के संबंध में।

अध्यक्ष :- 75 स्थानों पर **Multi Channel Analysis of Surface Wave (MASW) Test** का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना शहर को भूकम्प की बेहतर तैयारी करने हेतु IIT पटना ने एक प्रस्ताव समर्पित किया है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत पटना शहर के कुल 75 चिन्हित स्थलों पर तीन वर्षों में MASW Test कराया जाना है। यह टेस्ट सभी चिन्हित स्थलों पर खुले मैदान/पार्क/सड़क के किनारे की भूमि पर कराई जा सकती है। IIT पटना ने अपने E-Mail में अंकित किया है इस टेस्ट से आस-पास के संरचनाओं को किसी भी प्रकार से कोई क्षति नहीं होगी। इस टेस्ट में लगभग 8 किलोग्राम के छोटे Sledge Hammer से स्थल पर रखी स्टील प्लेट पर प्रहार किया जाएगा। सभी चिन्हित 75 स्थलों की सूची सुलभ अवलोकनार्थ संलग्न की गई है। IIT पटना ने वर्णित कार्य के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। तदालोक में IIT पटना को सभी चिन्हित 75 स्थलों पर टेस्ट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु सशक्त स्थायी समिति से निर्णय अपेक्षित है।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- अध्यक्ष महोदया, यह आम नागरिकों के हित की बात है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का मामला है। इसे पारित किया जा सकता है।

प्रस्ताव सं०- 275 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 75 स्थानों पर **Multi Channel Analysis of Surface Wave (MASW) Test** करने की अनुमति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस कार्य में होने वाली किसी भी प्रकार के व्यय का वहन पटना नगर निगम नहीं करेगी।

महापौर
पटना नगर निगम

अ०प०सं०-40 :- **Choice Consultancy Service Private Limited द्वारा क्रियान्वित ई-बिल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम में कार्यरत मानव बल की संख्या में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मानव बल नियुक्त करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- अतिरिक्त मानव बल की प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम द्वारा मुख्यालय एवं अंचल स्तर पर क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं को ई-बिल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम में अपडेट/अपलोड करने का कार्य एवं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कार्य स्थल पर मापी पुस्तिका भरने के कार्य में संबंधित कनीय अभियंता को सहयोग देने का कार्य तथा मुख्यालय स्तर पर भी कर्मचारियों के कार्य में सहयोग Choice Consultancy Services Private Limited के कर्मियों द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शहरी निश्चय, कच्ची नाली-गली पक्कीकरण, एवं वार्ड पार्षद योजना, निगम योजना एवं नल-जल जैसी वृहद योजनाओं को Choice Consultancy Services Private Limited के कर्मियों द्वारा सफलतापूर्वक ई-बिल सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री शहरी निश्चय कच्ची नाली-गली, एवं वार्ड पार्षद योजना, निगम योजना एवं नल-जल योजनाओं का अंचल की आवश्यकतानुसार समय-समय पर अपडेट एवं प्रगति संबंधित प्रतिवेदन भी Choice Consultancy Services Private Limited के कर्मियों द्वारा ही उपलब्ध कराया जा रहा है।

पटना नगर निगम में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की अधिकता एवं नई योजनाओं को ई-बिल सॉफ्टवेयर में अपडेट करने के साथ साथ योजनाओं के संबंधित प्रगति प्रतिवेदन यथा मुख्यमंत्री शहरी निश्चय कच्ची नाली-गली, एवं वार्ड पार्षद योजना, निगम योजना एवं नल-जल योजनाओं के मुख्यालय स्तर पर कार्यों की अधिकता की वजह से समय-समय पर अंचल द्वारा अतिरिक्त मानव बल की मांग की जाती रही है।

अतः मुख्यालय स्तर पर कार्य की अधिकता तथा महत्ता को देखते हुए Choice Consultancy Services Private Limited से एकरारनामा के अनुरूप मुख्यालय स्तर से प्राप्त आदेशों के आलोक में आवश्यकतानुसार छः (6) अतिरिक्त मानव बल की नियुक्ति के संबंध में सशक्त स्थायी समिति से विचार अपेक्षित है।

श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव नियमसंगत है। इसे पारित किया जाय।

श्री [illegible] :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव नियमसंगत है। इसे पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री आशीष कु० सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव निगमहित में है। इसे पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव निगमहित में है। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-276 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रमंडल स्तर पर कार्य की अधिकता तथा महत्ता को देखते हुए Choice Consultancy Service Private Limited से एकरारनामा के अनुरूप प्रमंडल स्तर से प्राप्त आवेदनों के माध्यम से तत्काल आवश्यकतानुसार छः (06) अतिरिक्त मानवबल की नियुक्ति करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अनु०सं०-41 :- चैती छठ 2024 एवं सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन 2024 हेतु विभिन्न घाटों पर अस्थायी घाटों के निर्माण/सौन्दर्यीकरण एवं अन्य कार्य की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

अध्यक्ष :- चैती छठ 2024 एवं सरस्वती पूजा पर मूर्ति विसर्जन पर हुए व्यय की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है। स्पष्ट करें।

प्रस्ताव सं०- 277:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चैती छठ 2024 एवं सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन 2024 हेतु विभिन्न घाटों पर अस्थायी घाटों के निर्माण/सौन्दर्यीकरण एवं अन्य कार्य की सूची उपलब्ध नहीं रहने के कारण इस प्रस्ताव को स्थगित किया जाता है, अगली बैठक में सूची एवं व्यय होने वाली राशि का आकलन के साथ संचिका उपस्थापित किया जाय।

अनु०सं०-42 :- ट्रांसपोर्टनगर, पटना में State Bank of India के Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत प्राप्त 01 (एक) Green Field, Material Recovery facility (MRF) को स्थापित एवं इसका संचालन 05 (पाँच) वर्ष तक निःशुल्क करने हेतु Mauryan Kars Auto Services LLP and Chime Techventures Private Limited को अनुमति देने पर विमर्श के संबंध में।

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- **Mauryan Kars Auto Services LLP and Chime Techventures Private Limited को अनुमति देने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :- Mauryan Kars Auto Services LLP and Chime Techventures Private Limited के द्वारा निगम क्षेत्र में उत्सर्जित होने वाले कचरे का Mechanized तथा Digitalized तरीके से निष्पादन किये जाने हेतु भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) से Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत प्राप्त होने वाले Material Recovery Facility (MRF) के स्थापित एवं संचालन के लिए ट्रांसपोर्टनगर, पटना में 4000 (चार हजार) वर्गफीट कंक्रीट फर्श तथा 3000 (तीन हजार) वर्गफीट गैर-कंक्रीट फर्श को उपलब्ध कराने के अतिरिक्त पानी और बिजली कनेक्शन जिसके शुल्क का वहन पटना नगर निगम द्वारा किया जायेगा। साथ ही उक्त MRF का 05 (पाँच) वर्ष तक निःशुल्क संचालन के लिए अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय पत्रांक :- SANI/VI/135/309/2021-15079, दिनांक 13.12.2023 के द्वारा पूर्व में मंतव्य उपलब्ध कराई गई है, जिसमें State Bank of India से Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत प्राप्त संपत्ति का स्वामित्व पटना नगर निगम के पास ही रहेगा। इस हेतु ट्रांसपोर्टनगर, पटना साइट पर पटना नगर निगम के स्वामित्व की पुष्टि करने वाले प्रमाण (पत्र) को State Bank of India को अग्रसारित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। (सुलभ प्रसंग हेतु छायाप्रति संलग्न)

अतः ट्रांसपोर्टनगर, पटना में State Bank of India से Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत प्राप्त 01 (एक) Green field, Material Recovery Facility (MRF) को स्थापित एवं इसका संचालन 05 (पाँच) वर्ष तक निःशुल्क करने हेतु Mauryan Kars Auto Services LLP and Chime Techventures Private Limited को अनुमति देने का निर्णय अपेक्षित है।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव निगमहित में है, इसे पारित किया जाए।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-278 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि [illegible], पटना में State Bank of India के Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत ग्राम 01 (एक) Green Field Material Recovery facility (MRF) को स्थापित एवं इसका संचालन 05 (पाँच) वर्ष तक नि:शुल्क करने हेतु Maurya Kara Auto Services LLP and Chinar Techventures Private Limited को अनुमति देने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। Project एवं भूमि पर पूर्ण स्वामित्व नगर निगम का होगा। कोई दावा मान्य नहीं होगा।

अध्यक्ष :- बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों, नगर आयुक्त एवं सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की जाती है।

(सीता साहू)
अध्यक्ष,
पटना नगर निगम, पटना।

प्रतिलिपि :- माननीय महापौर/ माननीय उप-महापौर/ माननीय सदस्य, सशक्त स्थायी समिति/ नगर आयुक्त/ सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नगर सचिव,
पटना नगर निगम,पटना।